


शांति का आधार अस्त्र - बल
The Force Behind Peace



43वाँ वार्षिक विवरण 2012-13
43rd Annual Report 2012-13



भारत डायनामिक्स लिमिटेड
Bharat Dynamics Limited

कंचनबाग, हैदराबाद - 500 058.
Kanchanbagh, Hyderabad - 500 058.

भविष्य-दृष्टि :

रक्षा क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणता उत्पाद बनाने वाला विश्वस्तरीय उद्यम बनना.

Vision :

To be a world-class enterprise producing international standard quality products for the Defence industry.

मिशन :

वांतरिक्ष तथा अंतर्जल अस्त्र-प्रणाली उद्योग क्षेत्र में अग्रणी विनिर्माता के रूप में स्वयं को स्थापित कर देश की सुरक्षा प्रणाली एवं ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक विश्वस्तरीय अत्याधुनिक व उत्कृष्ट उद्यम बन कर उभरना.

Mission :

To establish itself as a leading manufacturer in the aerospace & underwater weapons industry and emerge as a world class sophisticated, state-of-the-art, global enterprise, providing solutions to the security system needs of the country.

उद्देश्य :

- ए) संचलित प्रक्षेपास्त्र तथा अंतर्जल संचलित शस्त्र प्रौद्योगिकी व उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी एवं स्वावलंबी बनना.
- बी) वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का अधिकाधिक प्रयोग करना.

Objectives :

- a) To become self-reliant and competitive in Guided Missile and Underwater Guided Weapon Technology and Production.
- b) To maximise utilisation of existing production capacities.

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रपत्र

अधिप्रमाणित

रक्षा राज्य मंत्री

Papers to be laid on the table of Lok Sabha / Rajya Sabha

AUTHENTICATED

RAKSHA RAJYA MANTRI



बी डी एल के भूतपूर्व कार्यपालक Former Chief Executives

क्र.सं. Sl.No.	नाम Name	अवधि Period	
		से From	तक To
1.	एअर वाइस मार्शल एस जे दस्तूर (नि.) Air Vice Marshal SJ Dastur (Retd)	22-09-1970	10-04-1974
2.	ब्रिगेडियर जे पी एंथोनी (नि.) Brig J P Anthony (Retd)	11-04-1974	31-08-1977
3.	विंग कमांडर वी एम चितले (नि.) Wg Cdr V M Chitale (Retd)	01-09-1977	30-09-1980
4.	श्री जेड पी मार्शल Shri Z P Marshall	01-10-1980	07-11-1988
5.	एअर कमांडर आर गोपालस्वामी, अविसेमे, विसेमे (नि.) Air Cmde R Gopalaswami, AVSM, VSM (Retd)	08-11-1988	30-06-1994
6.	कमांडर एस राव, विसेमे (नि.) Cmde S Rao, VSM (Retd)	01-07-1994	08-01-2000
7.	श्री एस गोविंदराजन Shri S Govindarajan	09-01-2000	31-08-2000
8.	श्री वी वी गंगाधर राव Shri V V Gangadhara Rao	01-09-2000	30-06-2002
9.	मेजर जनरल पी मोहन दास, विसेमे (नि.) Maj Gen P Mohandas, VSM (Retd)	24-07-2002	27-04-2005
10.	मेजर जनरल राजनीश गोसाईं (नि.) Maj Gen Raajnish Gossain, (Retd)	28-04-2005	30-04-2008
11.	कमांडर पी सामंता, विसेमे (नि.) Cmde P K Samanta, VSM (Retd)	01-05-2008	30-06-2008
12.	मेजर जनरल रवि खेतरपाल, विसेमे (नि.) Maj Gen Ravi Khetarpal, VSM (Retd)	01-07-2008	31-03-2012



लेखापरीक्षा समिति

प्रो. आर के मिश्र, अध्यक्ष
श्री के एल मेहरोत्रा, सदस्य
श्री ए के कपूर, सदस्य
श्री एम लक्ष्मी नारायण, सचिव

प्रधान कार्यपालक गण

श्री एम ईश्वर, आई टी एस
मुख्य सतर्कता अधिकारी
श्री पी माधव राव
अधिशासी निदेशक (सैम)
श्री एल धनंजय
अधिशासी निदेशक (डी अण्ड ई)
डॉ. एन के राजू
अधिशासी निदेशक (मानव संसाधन विकास)
श्री पी आर वी प्रसाद
अधिशासी निदेशक (भानूर इकाई)
श्री अशोक अपसिंगीकर
महाप्रबंधक (निगम गुणता नियंत्रण)
(दि. 31 अक्टूबर, 2012 तक)
श्री के लक्ष्मी राजम
महाप्रबंधक (अन्य परियोजनाएँ)
(दि. 31 अक्टूबर, 2012 तक)
श्री बी शिव राम प्रसाद
महाप्रबंधक (सं.वि एवं विपणन तथा सी सी और सिविल)
श्री पी के दिवाकरन
महाप्रबंधक (अग्नि) बड़ामाफी
श्री आर बालकृष्णन
महाप्रबंधक (सी सी एवं सी पी)
(दि. 31 मई, 2013 तक)
श्री जी जयराम रेड्डी
महाप्रबंधक (आकाश - जी एस एंव पी एम जी)
श्री ई एस मोहन रेड्डी
महाप्रबंधक (वित्त)
श्री पी नरसिंग राव
महाप्रबंधक (आकाश - एम)
(दि. 05 फरवरी, 2013 तक)
श्री वी एन रेड्डी
महाप्रबंधक (एम एन आर)
श्री जी दत्त कुमार
महाप्रबंधक (जी एस डी)
श्री वी गुरुदत्त प्रसाद
महाप्रबंधक (मिलान)
श्री एन पी दिवाकर
महाप्रबंधक (आकाश)

लेखापरीक्षक

मेसर्स डी वी रमण राव अण्ड कंपनी,
चार्टर्ड अकाउण्टंट्स
हैदराबाद

AUDIT COMMITTEE

PROF RK MISHRA, Chairman
SHRI KL MEHROTRA, Member
SHRI AK KAPOOR, Member
SHRI M LAKSHMI NARAYANA, Secretary

PRINCIPAL EXECUTIVES

SHRI M ESHWAR, ITS
Chief Vigilance Officer
SHRI P MADHAVA RAO
Executive Director (SAM)
SHRI L DHANANJAYA
Executive Director (D&E)
DR NK RAJU
Executive Director (HRD)
SHRI PRV PRASAD
Executive Director (BU)
SHRI ASHOK APSINGIKAR
General Manager (Corporate QC) (Upto 31 Oct 2012)
SHRI K LAXMI RAJAM
General Manager (OPs) (Upto 31 Oct 2012)
SHRI B SIVA RAMA PRASAD
General Manager (BD & Mktg., CC and Civil)
SHRI PK DIVAKARAN
General Manager (Agni) Badamafi
SHRI R BALAKRISHNAN
General Manager (CC & CP) (Upto 31 May 2013)
SHRI G JAI RAM REDDY
General Manager (Akash-GS & PMG)
SHRI ES MOHAN REDDY
General Manager (Finance)
SHRI P NARSINGA RAO
GM (AKASH-M) (Upto 05 Feb 2013)
SHRI VN REDDY
General Manager (MNR)
SHRI G DATTU KUMAR
General Manager (GSD)
SHRI V GURUDATTA PRASAD
General Manager (Milan)
SHRI NP DIWAKAR
General Manager (Akash)

AUDITORS

M/s. DV RAMANA RAO & CO.
Chartered Accountants
Hyderabad



आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स उमामहेश्वर राव अण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
मेसर्स कुंभत अण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
मेसर्स नरसिंह राव अण्ड असोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
मेसर्स राव अण्ड नारायण, चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

INTERNAL AUDITORS

M/s. UMAMAHESWARA RAO & CO., Chartered Accountants
M/s. KUMBHAT & CO., Chartered Accountants
M/s. NARASIMHA RAO&ASSOCIATES., Chartered Accountants
M/s. RAO & NARAYAN, Chartered Accountants

कर परामर्शदाता

बन्सल अण्ड दवे, चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

TAX CONSULTANTS

BANSAL & DAVE, Chartered Accountants

विधि सलाहकार

श्री के श्रीनिवास मूर्ति
श्री डी रविशंकर राव

LEGAL ADVISERS

SHRI K SRINIVASA MURTHY
SHRI D RAVISHANKAR RAO

बैंकर्स

आंध्र बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
कार्पोरेशन बैंक
केनरा बैंक

BANKERS

ANDHRA BANK
STATE BANK OF INDIA
CORPORATION BANK
CANARA BANK

पंजीकृत कार्यालय

कंचनबाग पोस्ट
हैदराबाद-500058
आंध्र प्रदेश, भारत
ईपीएबीएक्स : 040-24587466 एवं 040 24587777
फैक्स : 040-24340464

REGISTERED OFFICE

Kanchanbagh Post
Hyderabad - 500 058
Andhra Pradesh, India
Epabx 040-24587466 & 040-24587777
Fax 040-24340464

ई-मेल

bdlitd@ap.nic.in

E-MAIL

bdlitd@ap.nic.in

वेबसाइट

<http://bdl.ap.nic.in>

WEBSITE

<http://bdl.ap.nic.in>



दस वर्षों पर दृष्टिपात Ten Years At A Glance

(₹ करोड़ Crore)

विवरण Particulars	इकाई Units	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बिक्री Sales	₹ करोड़ ₹ Cr.	524.80	450.98	531.53	433.51	454.38	464.82	627.23	939.16	959.12	1074.71
निर्माणाधीन कार्य / मार्गस्थ भण्डार में परिवर्तन Changes in WIP/SIT	₹ करोड़ ₹ Cr.	(2.33)	14.81	2.75	(47.67)	51.47	58.24	4.38	(28.18)	33.82	100.81
उत्पादन मूल्य Value of Production	₹ करोड़ ₹ Cr.	522.47	465.79	534.28	385.84	505.85	523.06	631.61	910.98	992.94	1175.52
सामग्री की खपत Material Consumption	₹ करोड़ ₹ Cr.	333.51	313.47	329.01	239.89	351.99	364.84	438.01	580.14	633.53	779.57
परिवर्द्धित मूल्य Value Added	₹ करोड़ ₹ Cr.	188.96	152.32	205.27	145.95	153.86	158.22	193.60	330.84	359.41	395.95
कर पूर्व लाभ Profit Before Tax	₹ करोड़ ₹ Cr.	79.24	52.28	118.81	50.80	72.49	74.23	50.63	79.17	348.19	419.06
कराधान के बाद लाभ Profit After Tax	₹ करोड़ ₹ Cr.	50.56	30.66	76.72	32.74	47.65	47.67	33.77	51.70	234.96	288.40
ईक्विटी Equity	₹ करोड़ ₹ Cr.	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
प्रारक्षित एवं अधिशेष निधि Reserves & Surplus	₹ करोड़ ₹ Cr.	302.78	307.22	357.79	363.62	384.37	405.13	412.08	437.05	617.38	838.30
सकल निरुद्ध (पूँजीगत नि. का. छोड़ कर) Gross Block (Excl.Cap.WIP)	₹ करोड़ ₹ Cr.	325.11	330.28	333.51	359.09*	376.49	403.42	461.20	488.08	604.24	711.55
सामग्री-सूची Inventory	₹ करोड़ ₹ Cr.	358.27	384.62	454.53	338.92	434.25	623.11	570.26	502.19	602.57	1006.53
ग्राह्य व्यापार Trade Receivables	₹ करोड़ ₹ Cr.	14.93	24.17	13.87	19.51	21.54	8.95	33.58	45.15	88.39	281.55
कार्यगत पूँजी Working Capital	₹ करोड़ ₹ Cr.	312.20	316.21	361.94	371.79	384.96	404.86	360.44	370.66#	458.97	614.58
नियोजित पूँजी Capital Employed	₹ करोड़ ₹ Cr.	395.86	396.03	437.84	458.15*	478.59	508.81	503.66	511.79#	670.64	892.59
निवल मालियत Net Worth	₹ करोड़ ₹ Cr.	398.66	407.99	457.09	470.86*	495.55	519.93	526.88	551.85	732.19	953.08
कर्मचारियों की संख्या Number of Employees	संख्या Nos.	2917	2909	2814	2742	2715	2788	2894	2897	3142@	3300
कर्मचारी पर लागत Employee Costs	₹ करोड़ ₹ Cr.	80.74	81.99	84.71	94.71	149.63	151.16	178.84	234.53	240.32	258.99
पारिश्रमिक प्रति ₹ पर परिवर्द्धित मूल्य Value Added per ₹ of Wage	₹	2.34	1.86	2.42	1.54	1.03	1.05	1.08	1.41	1.50	1.53
परिवर्द्धित मूल्य प्रति कर्मचारी Value Added per Employee	₹ लाख ₹ Lakh	6.48	5.24	7.29	5.32	5.67	5.67	6.69	11.42	11.44@	12.00
प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस) Earnings per Share (EPS)	₹	440	267	667	285	414	415	294	450	2043	2508

* 2006-07 की स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची के पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2007-08 में पुनर्व्यवस्थीकरण किया गया. # वर्ष परिवर्द्धित अनुसूची VI के अनुरूप लेखा प्रस्तुत करने के कारण वर्ष 2011-12 से पुनः समायोजित. @ अस्थायी कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए पुनर्व्यवस्थीकरण किया गया.

* Re-adjusted due to regrouping of Fixed Assets Schedule of 2006-07 in the year 2007-08. # Re-adjusted due to Presentation of Accounts as per Revised Schedule VI from 2011-12 onwards.

@ Re-adjusted to include temporary Employees



अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निदेशक मंडल	2
2.	अध्यक्ष की कलम से	3
3.	सूचना	7
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	8
5.	लेखा-नीति	41
6.	तुलन-पत्र	46
7.	लाभ-हानि लेखा	47
8.	वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ	48
9.	नक़द आवागमन का विवरण	61
10.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट	62
11.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	64
12.	सांविधिक लेखापरीक्षकों के निरीक्षण तथा कंपनी द्वारा समाधान	66
13.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी	67



निदेशक मंडल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री एस एन मंथा

सरकारी निदेशक



श्री पी के मिश्र
संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग,
रक्षा मंत्रालय
(दि. 09 दिसंबर, 2012 तक तथा 11 सितंबर, 2013 से)



श्री आर जी विश्वनाथन
अपर वित्त सलाहकार (आर अण्ड डी),
डी आर डी ओ
संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशक



श्री. आर के मिश्र
वरिष्ठ प्रोफेसर एवं निदेशक
आई पी ई



श्री के एल मेहरोत्रा
पूर्व सी एम डी, मांगनीज़
ओर (इं.) लि.



श्री ए के कपूर
विशेष वैज्ञानिक
डी आर डी ओ, रक्षा मंत्रालय

पूर्णकालिक निदेशक



श्री एसवी सुब्बा राव
निदेशक (वित्त)



श्री वी जे भस्कर
निदेशक (उत्पादन)
(दि. 01 अगस्त, 2013 से)

स्थायी विशेष आमंत्रित



वाइस एडमिरल आर के शोचन
पविसेमे, अविसेमे, युसेमे
नौसेना उपाध्यक्ष (पदेन)



ते. जनरल नरेंद्र सिंह, सेमे, विसेमे
थल सेना उपाध्यक्ष
(पी अण्ड एस) (पदेन)



एयर मार्शल अरुण राहा
पविसेमे, अविसेमे, विसेमे, एडीसी
वायुसेना उपाध्यक्ष (पदेन)
(दि. 01 जुलाई, 2013 से)



श्री एस सोम
वैज्ञानिक "एच"
निदेशक, डी आर डी एल, हैदराबाद
(दि. 27 फरवरी, 2013 से)

कंपनी सचिव



श्री एम लक्ष्मी नारायण

पूर्व निदेशक / स्थायी विशेष आमंत्रित



श्री ए के चक्रवर्ती
निदेशक, डी आर डी एल
डी आर डी ओ द्वारा नामित
(दि. 31 जनवरी, 2013 तक)



श्री जी राघवेंद्र राव
निदेशक (तकनीकी)
(दि. 30 नवंबर 2012 से
26 जून 2013 तक)



एयर मार्शल डी सी कुमारिया
पविसेमे, अविसेमे, विसेमे, ए डी सी
वायुसेना उपाध्यक्ष (पदेन)
(दि. 30 जून, 2013 तक)



एयर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव
विसेमे (नि.)
निदेशक (उत्पादन)
(दि. 31 जुलाई, 2013 तक)



श्री रश्मिकान्त
संयुक्त सचिव (प्रशासन प्रणालियाँ)
रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय
(दि. 10 सितंबर, 2013 तक)



अध्यक्ष की कलम से



प्रिय सदस्य,

मुझे, वर्ष 2012-13 के लिए कंपनी का 43वाँ वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते हुए और इसकी भावी योजनाओं के संबंध में बात करते हुए खुशी हो रही है.

पिछले वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष 2011-12 के 959.12 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 के लिए रु. 1074.71 करोड़ का बिक्री कारोबार हासिल किया जिससे पिछले वर्ष के कारोबार की तुलना में 12% की वृद्धि हुई. वर्ष 2012-13 के लिए उत्पादन मूल्य रु.1175.52 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है. कंपनी की कुल स्थाई परिसंपत्तियों का सकल निरुद्ध रु.711.55 करोड़ है जो वर्ष 2011-12 की तुलना में रु. 107.31 करोड़ अधिक है.

आपके निदेशकों ने रु.115.00 करोड़ की प्रदत्त पूँजी पर 50.16% की दर से रु.57.684 करोड़ का लाभांश भुगतान करने की सहर्ष सिफारिश की.

पर्यावरणीय पहलू

कंपनी हमेशा की तरह पर्यावरण हितैषी रही है तथा अपनी सभी विनिर्माण इकाइयों में साफ-सुथरा व हरित पर्यावरण बनाये रखती है. संभावित क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण उपाय अपनाये जा रहे हैं. व्यवस्थित प्रबंधन एवं जोखिम वाले तथा अन्य प्रकार के व्यर्थ का निपटान एवं विभिन्न तरह के प्रयास सुस्थापित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के हिस्से बन चुके हैं. कंपनी पर्यावरण की सुरक्षा एवं अनुरक्षण के लिए निर्धारित सभी मानकों की पूर्ति के लिए तत्पर है.

ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क

कंपनी, सेनाओं से प्राप्त माँग-पत्रों की आपूर्ति स्थिति तथा उनकी प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए प्रयोगकर्ताओं के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर रही है. आवश्यकतानुसार, रक्षा मंत्रालय के अनुरक्षण के अंतर्गत भी बैठकें बुलायी जाती हैं. सशस्त्र सेनाओं के लिए सामग्री आपूर्त करते समय कंपनी पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखती है.



दि. 20 दिसंबर, 2012 को बी डी एल दौरे के दौरान सी एम डी तथा निदेशकों से चर्चा करते हुए एयर वाइस मार्शल आर के धीर, अविसेमे, विमे तकनीकी प्रबंधक (वायु), अधिग्रहण स्कंध, रक्षा मंत्रालय.

विक्रेता विकास

आवश्यकतानुसार, विक्रेता बैठकें आयोजित की जा रही हैं। ई-खरीदी लागू की गई है तथा आदेशों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया जा रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने एम एस एम ई के संयुक्त तत्वावधान में एम एस एम ई-डी आई, बालानगर, हैदराबाद में दि. 13 अक्टूबर, 2012 को एक विक्रेता बैठक आयोजित की। कंपनी ने एम एस एम ई द्वारा दि. 14-15 दिसंबर, 2012 को विशाखापट्टणम में, दि. 5 जनवरी, 2013 को विजयावाडा में, दि. 06 जनवरी, 2013 को मछलीपट्टणम में तथा दि. 2-3 फरवरी, 2013 को राजमंद्री में आयोजित तथा एन एस आई सी, महिला उद्यमकर्ता, हैदराबाद द्वारा दि. 08 मार्च, 2013 को आयोजित विक्रेता बैठकों में भाग लिया।



बी डी एल ने दि. 02-03 फरवरी, 2013 को एम एस एम ई के तत्वावधान में राजमंद्री में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विक्रेता विकास कार्यक्रम में भाग लिया।

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर)

सी एस आर, कंपनी के नैगमिक उद्देश्य का समग्र अंश है जो सामाजिक एवं संव्यवहार पद्धतियों को एकीकृत करता है।

कंपनी, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए सभी तरह से प्रयास कर रही है और अपने प्रयासों के प्रति प्रतिबद्ध है।

कंपनी द्वारा मुख्य रूप से समाज के अलग-अलग समुदायों के हित के लिए विशेषकर वंचित, अल्पक, अपंग व्यक्तियों के लिए विभिन्न पहल एवं परियोजनाएँ अपनायी गयी हैं। कंपनी, आगामी वर्षों के दौरान सी एस आर परियोजनाओं को प्राथमिकता देना जारी रखेगी तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन क्रम में अतिरिक्त गतिविधियाँ भी शामिल होंगी।

रक्षा मंत्री पुरस्कार

"थ्रोइंग डिवाइस चार्ज के लिए बैलेस्टिक मूल्यांकन पद्धति स्थापित करने" के लिए कंपनी को नवोन्मेष श्रेणी के अंतर्गत "रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2010-11" से नवाज़ा गया। दि. 05 अक्टूबर, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य



समारोह में भानूर इकाई के प्रतिनिधि श्री वी उदय भास्कर, महाप्रबंधक (इन्वार एवं देशीकरण) तथा श्री जी श्रीनिवास राव,

उप महाप्रबंधक (एस ई जी एवं देशीकरण) ने माननीय रक्षा मंत्री के



दि. 05 अक्टूबर, 2012 को माननीय रक्षा मंत्री श्री ए के अंटनी के करकमलों से "वर्ष 2010-11 के लिए रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार" प्राप्त करते हुए श्री वी उदय भास्कर, महाप्रबंधक (इन्वार एवं देशीकरण) और श्री जी श्रीनिवास राव, उप महाप्रबंधक (एस ई जी एवं देशीकरण).

करकमलों से यह पुरस्कार ग्रहण किया.

एकता समझौते का कार्यान्वयन

पूँजी, सिविल एवं सेवा ठेकों के लिए बी डी एल में दि. 01 नवंबर, 2011 से एकता समझौते का कार्यान्वयन किया जा रहा है. दि. 04 मई, 2012 से राजस्व मदों को एकता समझौते के अंदर लिया गया है. कैपिटल आईटम का आरंभिक मूल्य रु. 5 करोड़ और उससे ऊपर, सिविल कार्य के लिए रु. 10 करोड़ और उससे ऊपर, सेवा ठेके के लिए रु. 2 करोड़ और उससे ऊपर तथा राजस्व मदों के लिए रु. 10 करोड़ और उससे ऊपर है. वर्ष 2012-13 के दौरान इन आरंभिक मूल्यों के लिए एकता समझौता कवरेज में 90 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई.

नैगमिक अभिशासन

कंपनी में पेशेवर रुख तथा जवाबदेही तय करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था कायम है. नैगमिक अभिशासन के संबंध में कंपनी का मुख्य उद्देश्य है कि अपनी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करें, उचित प्रकटीकरण, कानून का अनुपालन करें, नैतिक मूल्य बनाये रखें

तथा सभी स्टेकधारकों के हित को ध्यान में रखें.

सार्वजनिक उद्यमों के लिए डी पी ई, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, निगम अभिशासन की रिपोर्ट तथा कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा दिया गया अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है.

डी पी ई दिशानिर्देशानुसार नैगमिक अभिशासन के संबंध में त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित फार्मेट में रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित की जा रही है.

कंपनी की गतिविधियों का अनुवीक्षण सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) जैसी विभिन्न बाह्य



एजंसियों द्वारा किया जाता है।

कंपनियों के कुल सचिव (आर ओ सी) / नैगमिक कार्य मंत्रालय के साथ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग

कंपनी एम सी ए - 21 रेजीम का पालन करती है। कंपनी अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन कंपनी के सभी प्रकार के फॉर्म एवं विवरणिकाएँ डिजिटल हस्ताक्षर सहित ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा फाइल किये जाते हैं। कंपनी का सी आई एन नंबर है - U2429AP1970 GOI 001353.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान का पालन कर रही है। इस अधिनियम के तहत आवेदकों द्वारा माँगी गई हर प्रकार की जानकारी आर टी आई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप दी जाती है।

नई उत्पादन सुविधाएँ

कंपनी की नई परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए अमरावती तथा इब्राहिमपट्टणम, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में भूमि-अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है और संबंधित ज़मीन अपना ली

गई है।

निष्कर्ष

मैं, हमारे ग्राहक, संव्यवहार सहभागियों तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विशेषकर रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग सहित तीनों सेनाओं के द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अमूल्य परामर्श और सहयोग के लिए मैं कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स डी वी रमण राव अण्ड कंपनी तथा वाणिज्यिक लेखापरीक्षक के प्रधान निदेशक और लेखापरीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे अधिकारी और कर्मचारियों की हर स्तर पर प्रतिबद्धता व समर्पण इस कंपनी की ताकत रही है। प्रबंधन के प्रत्येक क्षेत्र में सलाह व सहयोग के लिए मैं निदेशक मंडल के अपने साथियों को धन्यवाद देता हूँ। हमें इस ताकत को जारी रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए ताकि भविष्य की चुनौतियों और विकास की गति को बनाये रखा जा सके। अंत में, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी कंपनी भविष्य की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है तथा इसकी दृष्टि सकारात्मक और भविष्य उज्ज्वल होगा।

शुभकामनाओं सहित,

स्थान : हैदराबाद

तारीख : 02 अगस्त 2013

एस एन मंथा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



सूचना

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

कंचनबाग पोस्ट

हैदराबाद - 500058

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की 43वीं वार्षिक महासभा सोमवार दिनांक 30 सितंबर, 2013 को सुबह 10.30 बजे निम्नांकित कार्य संव्यवहृत करने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, कंचनबाग, हैदराबाद-500058 में होगी.

सामान्य संव्यवहार

1. 31 मार्च, 2013 के तुलन-पत्र तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खातों व नक़द प्राप्त विवरण और निदेशकों की तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार कर, स्वीकृत करना.
2. ईक्विटी शेयरों पर यदि कोई लाभांश हो तो, घोषित करना.

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 04 सितंबर 2013

(एम लक्ष्मीनारायण)
कंपनी सचिव

टिप्पणी : इस सभा में उपस्थित रहने तथा मतदान करने के लिए अहर्ष्य सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित रहने तथा मतदान करने के लिए किसी परोक्षी को नियुक्त करने के लिए अहर्ष्य हैं और ऐसे परोक्षी इस कंपनी के सदस्य हो, यह ज़रूरी नहीं है.



निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए इस उद्यम के लेखा परीक्षित लेखे के साथ 43वाँ वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

2. परिचालन के मुख्य अंश

2.1 वर्ष 2012-13 के दौरान इन्चार माँग-पत्र पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है और 65% तक का देशीकरण कार्य भी संपन्न हो चुका है।

2.2 वर्ष 2012-13 के दौरान भारतीय वायुसेना के लिए आकाश मिसाइल के वायुसेना वर्शन के दो स्क्वाड्रन (भारतीय वायुसेना) आदेश का कार्यान्वयन पूर्ण किया गया है।

2.3 वर्ष 2012-13 के दौरान ग्राहक सुपर्दगी प्रणाली आवश्यकता से अधिक कांकूर्स-एम मिसाइल की आपूर्ति की गई है।

3. कार्य-निष्पादन

3.1 वित्तीय मामलों के संबंध में कंपनी के कार्यनिष्पादन का सार इस प्रकार है -

विवरण	करोड़ रुपये में		% वृद्धि / (अपवृद्धि)
	2011-12	2012-13	
बिक्री मूल्य	959.12	1074.71	12%
उत्पादन मूल्य	992.94	1175.52	18%
कराधान पूर्व लाभ	348.19	419.06	20%
कराधान बाद लाभ	234.92	288.40	23%
मूल्य-वर्द्धन	359.41	395.95	10%

3.2 निम्नांकित विवरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित है -

विवरण	करोड़ रुपये में		% वृद्धि / (अपवृद्धि)
	2011-12	2012-13	
सकल निरुद्ध	604.24	711.55	18%
मूल्यहास प्रारक्षण	392.57	433.55	10%
निवल निरुद्ध	211.67	278.00	31%
कार्यगत पूँजी	458.97	614.58	34%
नियोजित पूँजी	670.64	892.58	33%
निवल मालियत	732.19	953.08	30%



4. लाभांश एवं सामान्य प्रारक्षण में अंतरण

आपके निदेशकों ने रु.115.00 करोड़ की प्रदत्त पूँजी पर 50.16% की दर से रु.57.684 करोड़ लाभांश के

भुगतान की सहर्ष सिफारिश की है. निदेशक-गण यह भी सिफारिश करता है कि रु. 221.00 करोड़ की राशि सामान्य प्रारक्षण में अंतरित की जाए.



दि. 25 अक्टूबर, 2012 को माननीय रक्षा मंत्री श्री ए के अंटनी को नई दिल्ली में वर्ष 2011-12 के लिए रु.47 करोड़ का लाभांश चेक भेंट करते हुए श्री एस एन मंथा, सी एम डी तथा श्री एस वी सुब्बा राव निदेशक (वित्त). इस अवसर पर श्री आर के माथुर, सचिव (रक्षा उत्पादन), श्री ए के गुप्त, अपर सचिव (रक्षा उत्पादन) और श्री पी के मिश्र, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली), रक्षा मंत्रालय भी उपस्थित थे.

5. वित्त

उद्यम की कुल प्रदत्त पूँजी 115.00 करोड़ रुपये रही. कंपनी की कुल स्थायी परिसंपत्तियाँ (विशेष औज़ार और उपकरण सहित) 711.55 करोड़ रुपये की रहीं जो वर्ष 2011-12 की तुलना में रु. 107.31 करोड़ अधिक है.

6. अनुबंध ज्ञापन प्रलेख की दृष्टि से कार्यनिष्पादन

वर्ष 2012-13 में आपके उद्यम ने कार्य-निष्पादन में "बहुत अच्छा" दर्जा प्राप्त किया. वर्ष 2012-13 के लिए भी "बहुत अच्छा" दर्जा प्राप्त करने की उम्मीद है.

7. लागत में कमी

7.1 संभावित क्षेत्रों में ई-रिवर्स ऑक्शन लागू किया गया

जिससे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक कीमतें तथा सामग्री लागत में कमी पायी गई.

7.2 विभिन्न परियोजनाओं के लिए विक्रेताओं की संख्या बढ़ाने सतत प्रयास जारी हैं. तद्वारा सामग्री लागत में कमी की उम्मीद की जाती है.

7.3 ऊर्जा ऑडिट के अंतर्गत ऊर्जा बचत उपकरण प्रयोग किये जा रहे हैं, जिससे विद्युत शुल्क में कमी आयी. विद्युत उपभोग में कमी पायी गयी तथा विद्युत शुल्क में लगभग 19.66 लाख की बचत हुयी.

8. मितव्ययता

ऊर्जा की खपत, चल एवं अचल ऊपरी व्यय तथा आकस्मिक व्यय की निरंतर समीक्षा कर इसे न्यूनतम रखा गया है.



9. आधुनिकीकरण एवं उन्नयन

- 9.1 सभी प्रभागों में उद्यम संसाधन योजना (ई आर पी) कार्यान्वयनाधीन है और वर्ष 2014 के अंत तक इस कार्य के पूरा हो जाने की अपेक्षा है.
- 9.2 आकाश गुणता प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यान्वित की गई है जिससे संगठन को काफी लाभ हुआ. कंपनी की योजना है कि विक्रेताओं को डॉटा ऑनलाइन भेजने में सक्षम बनाने के लिए इस प्रणाली को प्रतिबद्ध लीड लाइन द्वारा लागू कराएं.
- 9.3 बदल रही आवश्यकताओं के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया गया. सुरक्षा के संबंध में विभिन्न तरह के खतरे रोकने के लिए आधुनिकीकरण की सतत योजना है.

10. विदेशी मुद्रा : अर्जन तथा व्यय

वर्ष के दौरान रु.0.03 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई तथा रु. 586.75 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ.

11. प्रदर्शनियाँ

- 11.1 बी डी एल ने वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भाग लिया -
 - दि. 19 से 23 सितंबर, 2012 तक दक्षिण आफ्रीका में आयोजित ए ए डी - 2012 प्रदर्शनी.
 - दि. 14 से 27 नवंबर, 2012 तक नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला.
 - दि. 06 से 10 फरवरी, 2013 तक बेंगलूरु में आयोजित एयरो इंडिया-2013.
- 11.2 बी डी एल ने निम्नलिखित कार्यक्रमों के अंतर्गत आयोजित प्रदर्शनियों में भी भाग लिया -



एअरो इंडिया 2013 के अवसर पर प्रदर्शित बी डी एल स्टाल में श्री रविकांत, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) को उत्पादों की जानकारी देते हुए श्री एस एन मंथा, सी एम डी तथा एयर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.), निदेशक (उत्पादन).



- दि. 3 से 4 दिसंबर, 2012 तक नई दिल्ली में थल सेना के लिए "लैंड सिस्टम का अनुरक्षण, मरम्मत एवं पुनःकल्पन : 21वीं सदी का परिप्रेक्ष्य" विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी.
- दि. 31 जनवरी और 01 फरवरी, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित एन ए वी ए आर एम एस.

- दि. 20 फरवरी, 2013 को नई दिल्ली में "21वीं सदी में थल वायु रक्षा" विषय पर आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी.

12. निदेशक मंडल

- 12.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की छः बैठकें



दि. 03-04 दिसंबर, 2012 के दौरान "लैंड सिस्टम का अनुरक्षण, मरम्मत एवं पुनःकल्पन : 21वीं सदी का परिप्रेक्ष्य" विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत आयोजित प्रदर्शनी में जनरल बिक्रम सिंह, वायुसेना उपाध्यक्ष को बी डी एल के उत्पादों का विवरण देते हुए एअर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.), निदेशक (उत्पादन).

संपन्न हुई तथा वर्ष 2011-12 की आम सभा दि. 24 सितंबर, 2012 को संपन्न हुई.

- 12.2 श्री जी राघवेंद्र राव दि. 30 नवंबर, 2012 से कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के पद पर नियुक्त किये गये. दि. 10 दिसंबर, 2012 से श्री रविकांत, संयुक्त सचिव (मिसाइल प्रणाली), रक्षा उत्पादन विभाग श्री पी के मिश्र, संयुक्त सचिव (मिसाइल प्रणाली) के स्थान पर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये.
- 12.3 श्री जी राघवेंद्र राव, निदेशक (तकनीकी) ने त्यागपत्र दिया और दि. 26 जून, 2013 को

कार्यमुक्त किये गये.

- 12.4 एअर वायस मार्शल पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.), निदेशक (उत्पादन) दि. 31 जुलाई, 2013 को अधिवर्षिता प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए. उनके स्थान पर श्री वी उदय भास्कर ने दि. 01 अगस्त को निदेशक (उत्पादन) का पदभार ग्रहण किया.

13. मानव संसाधन विकास

- 13.1 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अपने



आंतरिक प्रणाली प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान (आई एस टी एम) के माध्यम से उद्यम के 795 अधिकारी एवं 703 कर्मचारियों के लिए कौशल / ज्ञान / अभिवृत्ति विकास संबंधी योजित एवं आवश्यकता आधारित आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये.

- 13.2 39 वरिष्ठ कार्यपालकों को सलाहकारिता एवं अनुशिक्षण, सामरिक सोच एवं प्रबंधन, टीम में निर्णायकता, टीम-बिल्डिंग, परिवर्तन प्रवर्तन एवं नेतृत्व विकास जैसे प्रबंधन विकास कार्यक्रम के विविध विषयों पर आई आई एम, इंदौर, आई आई एम, लखनऊ एवं एक्स एल आर आई, जमशदपुर जैसी भारत की श्रेष्ठ संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिलाया गया.

- 13.3 तीस कार्यपालकों को पी एम आई, यू एस ए द्वारा प्रमाणित परियोजना प्रबंधन व्यावसायिक (पी एम पी) के रूप में प्रशिक्षित एवं प्रमाणित किये जाने की योजना है.

- 13.4 प्रवेश कार्यक्रम के अंतर्गत 98 नवनियुक्त कार्यपालकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा आंतरिक एवं विशिष्ट बाह्य संकाय द्वारा संगठन के मूल्य, मिशन एवं उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई. अन्य सी पी एस यू का औद्योगिक दौरा भी कराया गया.

- 13.5 कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए प्रति दिन एक घण्टे की योगा कक्षा आयोजित करने के लिए दिनांक 22 नवंबर,



दि. 05 नवंबर से 14 दिसंबर, 2012 के दौरान प्रोन्नत टेक्नॉलाजी रक्षा संस्थान (डी आई ई टी) द्वारा नवनियुक्त अधिकारियों के लिए आयोजित छः सप्ताह का "इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर प्रोन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम".



2012 को आई एस टी एम में "स्वास्थ्य केंद्र" (योगा केंद्र) की स्थापना की गई. एक विशेषज्ञ योगा गुरु योगा एवं ज्ञान का अभ्यास करवा रहे हैं.

13.6 ग्रेड VI एवं VII के कार्यपालकों की सक्षमता एवं आचरण विशेषता के मूल्यांकन के लिए बी डी एल में



दि. 22 नवंबर, 2012 को योगा केंद्र का उद्घाटन करते हुए श्री एसवी सुब्बा राव, निदेशक (वित्त).

मूल्यांकन विकास केंद्र (ए डी सी) की स्थापना की गई है. इस मूल्यांकन में गतिविधियों की श्रृंखला एवं विषय अध्ययन-विश्लेषण, भूमिका अदायगी, इनबॉक्स सिमुलेशन, प्रबंधन साक्षात्कार, सामूहिक चर्चा, सामूहिक संव्यवहार अनुरूपता जैसे सिमुलेशन शामिल हैं. बी डी एल के सभी अ.म.प्र. एवं उ.म.प्र. ने दि. 17-20 दिसंबर, 2012 तक (अ.म.प्र.) तथा दि. 15 से 30 अप्रैल, 2013 तक (उ.म.प्र.) मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लिया. सारी मूल्यांकन प्रक्रिया का आयोजन मेसर्स थॉमस एससमेंट प्राइवेट लि. (टी ए पी एल) बेंगलूरु के विशेषज्ञों द्वारा किया गया.

13.7 बी डी एल को एक अच्छा कार्यस्थल बनाने के प्रयास में बी डी एल की सभी इकाइयों में "कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण - 2013" का आयोजन किया गया. विविध पक्ष एवं आयामों में संगठन के प्रति कर्मचारियों की अनुभव संबंधी प्रतिक्रिया समझना इसका मुख्य उद्देश्य है. एक

मानव संसाधन परामर्श फर्म मेसर्स रांडस्टैंड इंडिया द्वारा इस सर्वेक्षण का आयोजन किया गया.

14. औद्योगिक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण

14.1 वर्ष के दौरान समता और मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध



दि. 16 फरवरी को मुंबई में विश्व एच आर डी कांग्रेस तथा आई पी ई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में "30 टैलेंटेड एच आर लीडर्स इन पी एस यू" पुरस्कार ग्रहण करते हुए डॉ. एन के राजू, अधिशासी निदेशक (का. एवं प्रशा.).



बनाये रखने में सभी वर्ग के कर्मचारी यथा मान्यताप्राप्त यूनियन व अन्य ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों तथा असोसिएशन का लगतार सहयोग व समर्थन मिलता रहा. कार्यकारी समिति, सुरक्षा समिति तथा कैंटीन समिति जैसी सांविधिक समितियाँ तथा शॉप स्तर एवं संयंत्र स्तर की समितियों ने कार्यस्थल के सभी स्तरों पर अनुशासन में सहयोग दिया.

- 14.2 सांविधिक कल्याण प्रावधानों का अनुपालन ध्यानपूर्वक किया जा रहा है. कंपनी वर्ष के दौरान विद्यालय शुल्क-प्रतिपूर्ति, कैंटीन भत्ता, यूनिकॉर्म, शू जैसी गैर-सांविधिक कल्याण सुविधाएँ उपलब्ध कराती रही. कंपनी, बीडीएल चिकित्सा नियमों के तहत कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की चिकित्सा ज़रूरतों का ध्यान रख रही है. कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनके पति / उनकी पत्नी की चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा बीमा योजना (रेमी) प्रवृत्त है.

15. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

- 15.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 217 (2 ए ए) के अनुसार निदेशकों का कथन है कि :
- (i) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखा मानकों का अनुसरण, निर्गत सामग्री के उचित स्पष्टीकरण सहित किया गया है.
- (ii) चयित लेखानीति का पालन नियमित रूप से किया गया है तथा इस आधार पर लिये गये निर्णय एवं प्राक्कलन उचित हैं. इनसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के वास्तविक और स्पष्ट कार्य-पद्धति दृष्टिगोचर होती है तथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ-हानि भी परिलक्षित होती है.
- (iii) कंपनी अधिनियम, 1956 के संशोधनों के प्रावधानानुसार लेखा अभिलेखों के उचित तथा पर्याप्त रखरखाव में सावधानी बरती गयी है ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों को धोकाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचाया जा सके.
- (iv) वार्षिक लेखे चालू संबद्ध आधारों पर तैयार किये गये हैं.

16. विदेशी यात्रा

वर्ष के दौरान कंपनी ने कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा

संयवहार यात्राओं के संबंध में विदेशी यात्राओं पर रु. 6.75 लाख खर्च किये.

17. सुरक्षा

- 17.1 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) कंचनबाग तथा भानूर इकाइयों में सुरक्षा तथा अग्नि सेवाएँ प्रदान कर रहा है. प्रबंधन, विशाखापट्टणम इकाई में भी सुरक्षा तथा अग्नि सेवाओं की आवश्यकताओं के लिए सी आई एस एफ के समावेशन की योजना बना रहा है. आई बी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए संयंत्र सुरक्षा परिषद मौजूद है. कड़ी सुरक्षा के लिए नियमित रूप से प्रबंधन और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा समीक्षा की जाती है. सुरक्षा उपायों के अद्यतन के लिए स्थानीय पुलिस एवं नागरिक प्राधिकरण के साथ आवधिक सुरक्षा समन्वयन बैठकें आयोजित की जा रही हैं. कंपनी वर्ष 2012-13 के दौरान अपराध-मुक्त रही.
- 17.2 सुरक्षा सप्ताह / फायर सप्ताह के दौरान सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं और कर्मचारियों को समय-समय पर होने वाले सुरक्षा खतरों एवं आग लगने पर ली जानेवाली सावधानियों से आगाह करवाया जाता है.
- 17.3 अप्राधिकृत प्रवेश रोकने के लिए बायोमेट्रिक एक्सस कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है. कड़ी सुरक्षा के लिए कंप्यूटर फोटो-पास के अलावा विभिन्न अन्य सुरक्षा उपाय भी अपनाये गए हैं.

18. संरक्षा

बी डी एल में संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण बनाये रखा गया है. कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो निगम-समितियाँ, औद्योगिक सुरक्षा समिति जो सांविधिक है और विस्फोटक संरक्षा समिति कार्यरत हैं. सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण परिस्थितियाँ नियंत्रित करने के लिए नियमित अंतराल पर संरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं. विस्फोटक सुरक्षा के लिए उद्योग अधिनियम, 1948 का अनुपालन करते हुए तथा एस टी ई सी (विस्फोटक का भण्डारण एवं परिवहन समिति) के विनियमों का कड़ा पालन करते हुए कार्य किये जाते हैं. जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करनेवाले कर्मचारियों के लिए



योग्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षाएँ करवायी जाती हैं। सी एफ ई ई एस, नई दिल्ली से आकाश प्रक्रिया भवन एवं मैगज़ीन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है और निर्माण कार्य जारी है। कर्मचारियों में संरक्षा-भावना जागरूक करने तथा सुरक्षित कार्य-परिसर बनाने के लिए मानव संसाधन विकास द्वारा राष्ट्रीय संरक्षा परिषद, मुंबई, केंद्रीय श्रमिक संस्थान, मुंबई, क्षेत्रीय श्रमिक संस्थान, चेन्नई तथा अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरण संरक्षा केंद्र, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के जरिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। मार्च माह में उत्साह से संरक्षा

सप्ताह / माह मनाया जाता है। संरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएँ तथा कार्यक्रम आयोजित कर संरक्षा में कर्मचारियों की रुचि बढ़ाने के लिए पुरस्कार भी दिये जाते हैं। अनुपालन किये जानेवाले दिशा-निर्देशों के अद्यतन के लिए संरक्षा विभाग फैक्टरी निरीक्षक (आं.प्र.), आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सी एफ ई ई एस, नई दिल्ली से निरंतर संपर्क बनाए रखता है। अग्नि-शमन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए फायर के मॉक-ड्रिल भी आयोजित किये जाते हैं।

19. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए



दि. 04 मार्च, 2013 को संपन्न 42 वें राष्ट्रीय संरक्षा दिवस के अवसर पर भानूर इकाई में संबोधित करते हुए श्री वी उदय भास्कर, महाप्रबंधक (उत्पादन).

पदों में आरक्षण तथा कुल मानव शक्ति

- 19.1 कंपनी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए पदों में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति आदेशों का पालन कर रही है।
- 19.2 31 मार्च, 2013 तक कंपनी में कार्यरत स्थायी कर्मिकों की संख्या 3085 है जो पिछले वर्ष की तुलना में 216

अधिक है। कुल 3085 स्थायी कर्मिकों में से 83 भूतपूर्व सैनिक, 577 अनुसूचित जाति तथा 200 अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। कर्मचारी वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमशः 19.56% और 5.35% है जबकि अधिकारी वर्ग में यह प्रतिशत क्रमशः 16.34% और 9.56% है।

- 19.3 31 मार्च, 2013 तक अस्थायी तौर पर गुप-सी में



नियुक्त कर्मचारियों की संख्या 215 है। इन 215 अस्थायी कर्मचारियों में से 45 अनुसूचित जाति के, 15 अनुसूचित जनजाति के हैं तथा 7 भूतपूर्व सैनिक हैं।

19.4 31 मार्च, 2013 तक कंपनी के विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार रहा :

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या					
	कुल संख्या		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	31 मार्च 2012	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012	31 मार्च 2013
ग्रुप "बी"	570	625	95	101	56	61
ग्रुप "सी"	228	201	31	34	17	18
ग्रुप "डी"	1724	1917	299	351	83	100
	273*	215*	67*	45*	19*	15*
कुल	3142	3300	583	622	196	215

* अस्थायी तौर पर नियुक्त

19.5 वर्ष 2012-13 के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की भर्ती निम्न प्रकार रही :

पदों का वर्गीकरण (1)	कुल विमोचित रिक्तियाँ (2)	कुल भर्ती (3)	पदों का आरक्षण (कालम 2 में से) (4)		वर्ष 2012-13 में की गयी भर्ती (5)	
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
ग्रुप "ए"	24	24	02	-	03	01
ग्रुप "बी"	30	30	09	03	09	03
ग्रुप "सी"	243	243	43	16	58	17
	185*	185*	31*	10*	36*	14*
ग्रुप "डी"	04	04	01	-	01	-
कुल	486	486	86	29	107	35

* अस्थायी तौर पर नियुक्त

20. महिलाओं का नियोजन

20.1 रक्षा मंत्रालय के दि. 27 अगस्त, 1999 के पत्र सं. 39 (6)/99/डी (बी अण्ड सी) द्वारा दिए गए निर्देशानुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के वार्षिक विवरण 1995-96

की संख्या 51 के परिच्छेद (ii) (ए) की सिफारिशों के अनुसार महिला नियोजन की स्थिति (प्रतिशत) निम्न प्रकार है -

I. कार्यपालक

ग्रेड	कुल	महिलाएँ	प्रतिशत
I	201	29	14.42%
II	160	27	16.87%
III	67	08	11.94%
IV	70	13	18.57%
V	173	08	4.62%
VI	101	0	0%
VII	35	01	2.85%
VIII	10	0	0%
IX	04	0	0%
मुख्य सतर्कता अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	01	0	0%
अनुसूची "सी"	03	0	0%
अनुसूची "बी"	01	0	0%
कुल	826	86	10.41%



II. कार्यपालकेतर

ग्रुप	कुल	महिलाएँ	प्रतिशत
ग्रुप-1	127	15	11.81%
ग्रुप-2	296	21	7.09%
ग्रुप-3	214	47	21.96%
ग्रुप-4	255	30	11.76%
ग्रुप-5	74	9	12.16%
ग्रुप-6	53	7	13.21%
ग्रुप-7	125	5	4.00%
ग्रुप-8	22	0	0%
ग्रुप-9	239	8	3.35%
ग्रुप-10	91	21	23.08%
ग्रुप-11	763	54	7.08%
कुल	2259	217	9.61%

टिप्पणी : अस्थायी तौर पर नियुक्त कुल 215 कर्मचारियों में 24 महिला कर्मचारी शामिल हैं.



बी डी एल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया. इस अवसर पर श्री एसवी सुब्बा राव, निदेशक (वित्त), श्रीमती प्रसन्ना पणिककर, महाप्रबंधक, आंध्र बैंक, श्रीमती मल्लु स्वराज्यम, स्वतंत्रता सेनानी तथा श्री जी राघवेंद्र राव, निदेशक (तकनीकी) उपस्थित रहे.

21. विकलांग कर्मचारी

उद्यम में 21 अपंग कार्यपालक और 93 अपंग कार्यपालकेतर कर्मचारी कार्यरत हैं. साथ ही, 15 अपंग कर्मचारी अस्थायी तौर पर नियुक्त किये गये. अपंग कर्मचारियों का कुल प्रतिशत 3.61% (अस्थायी कर्मचारियों को मिलाकर) है.

22. कर्मचारी विवरण

कंपनी (कर्मचारी विवरण) नियमावली 1975 के साथ पाठ्य कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अनुसार आवश्यक कर्मचारियों की जानकारी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है. (अनुलग्नक-1) :



23. पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण

कंपनी, हरा-भरा वातावरण बनाए रखते हुए पर्यावरण के सभी पहलुओं की दृष्टि से लगातार सुधार कर रही है। अशुद्ध जल को शुद्ध कर अपशेष प्रबंधन, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, फूल लगाने वाले वृक्ष तथा बागवानी की गईं।

24. गुणता

24.1 कंपनी ने, सुपुर्द करने वाले अपने सभी उत्पादों की उच्च गुणता के लिए प्राथमिकता दी है। बी डी एल के उत्पादों में एकल प्रयुक्त (सिंगल शॉट डिवाइस) प्रकृति के उत्पाद शामिल हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंपनी ने सभी प्रमुख उत्पादन प्रभागों में आई एस ओ 9001 : 2008 स्तर के अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू कर रखे हैं।



दि. 05 अप्रैल, 2013 के अपने दौरे के दौरान वर्कशॉप में विनिर्माण प्रक्रिया में रुचि दिखाते हुए एअर मार्शल डी सी कुमारिया, पविसेमे, अविसेमे, विमे, विसमे, एडीसी

24.2 कंपनी के एम एन आर, भानूर, सीपी-आईजीएमपी, डी अण्ड ई, आई टी डी, ई डी जैसे छः प्रभागों का आई एस ओ 9001 के वर्तमान स्तर का प्रमाणन किया गया है। आई एस ओ प्रमाणन को जारी रखने के लिए आई एस ओ 9001 गुणता आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने प्रमाणन निकायों द्वारा उपर्युक्त सभी प्रभागों की नियमित रूप से निगरानी ऑडिट की जाती है।

24.3 इस वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग, भानूर, एम एन आर, डी अण्ड ई एवं सीपी-आई जी एम पी प्रभागों के लिए मेसर्स आई आर क्यू एस द्वारा नवीकरण तथा अंतरण प्रमाणन ऑडिट संपन्न किये गये और तीन वर्ष के लिए आई एस ओ 9001 : 2008 प्रमाणन दिया गया।



डी अण्ड ई तथा निगम गुणता नियंत्रण के कार्यपालकों की उपस्थिति में श्री नागराजू, प्रधान - आई आर क्यू एस, हैदराबाद द्वारा डी अण्ड ई प्रभाग के लिए आई एस ओ 9001 : 2008 प्रमाण-पत्र (पुनःप्रमाणन) स्वीकार करते हुए श्री पी एन ज्ञानेश्वर, अपर महाप्रबंधक (डी अण्ड ई)।



दि. 05 मार्च, 2013 को श्री जी राघवेंद्र राव, निदेशक (तकनीकी) तथा भानूर इकाई व निगम गुणता नियंत्रण के कार्यपालकों की उपस्थिति में श्री नागराजू, प्रधान, आई आर क्यू एस, हैदराबाद द्वारा भानूर इकाई के लिए आई एस ओ 9001 : 2008 प्रमाण पत्र (पुनःप्रमाणन) प्राप्त करते हुए श्री पी आर वी प्रसाद, अधिशासी निदेशक (भानूर इकाई).

24.4 कंपनी, बी डी एल के लिए वांतरिक्ष गुणता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन ए एस 9100 सी प्राप्त करने की योजना बना रही है. इसका कार्य आरंभ कर दिया गया है और अगले वर्ष तक ए एस 9100 सी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की उम्मीद है.

24.5 गुणता के क्षेत्र में कंपनी की संकल्पबद्धता के परिणामस्वरूप अस्वीकार्यता और पुनःकार्य कम हुए, उत्पादों की गुणता और सेवाओं में वृद्धि हुई व ग्राहक संतुष्टि में बढ़ोत्तरी हुई है.



दि. 28 नवंबर, 2012 को आर सी आई में मेजर जनरल सुशील कुमार, अपर महानिदेशक, एस एस क्यू ए जी द्वारा अग्नि गुणता सर्कल का उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर बी डी एल क्वालिटी सर्कल 'लोगो' भी जारी किया गया.

24.6 आई एस ओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) : इस संदर्भ में बी डी एल ने अपने तीनों इकाई - कंचनबाग, भानूर तथा विशाखापट्टणम के लिए आई एस ओ 14001 (ई एम एस) प्रमाणन प्राप्त करने का निर्णय लिया है. संप्रति तैयारी गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है और निकट भविष्य में आई एस ओ 14001 प्रमाणन प्राप्त किया जाएगा.

25. निर्यात

बी डी एल ने वर्ष 2012-13 के दौरान रु.5.20 लाख के निर्यात आदेश कार्यान्वित किये हैं.

26. भावी योजना

दि. 1 जुलाई, 2013 तक लगभग रु.17,000 करोड़ के प्राप्त कार्य-आदेशों से कंपनी की स्थिति सुदृढ़ है.

27. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता

27.1 कंपनी ने सभी प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों तथा



प्रणालियों के वित्तीय औचित्य के सभी मापदण्डों को बेहतर बनाने की व्यवस्था की है. बाह्य लेखापरीक्षक फर्म को इनकी पर्याप्तता तथा रिपोर्ट को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है. बी डी एल के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग तथा आंतरिक लेखा फर्म की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण लेखापरीक्षक समिति के समक्ष समीक्षा एवं सलाह के लिए प्रस्तुत किया गया. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की समीक्षा कर रिपोर्ट दी गई है. सरकारी कंपनी होने के नाते बी डी एल के लिए सरकारी लेखापरीक्षा आवश्यक है.

28. राजभाषा कार्यान्वयन

- 28.1 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) और इनके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा नियम, राजभाषा विभाग के दिशानिर्देशों का समुचित रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है. सी एम डी तथा निदेशकों की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं. राजभाषा के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें संबंधित प्राधिकारी को समय पर भेजी जा रही हैं.
- 28.2 माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय की 11वीं हिंदी सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई. जुलाई में संपन्न इस बैठक में सी एम डी तथा वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने भाग लिया.
- 28.3 दि. 06 फरवरी, 2013 को हुए रक्षा संबंधी स्थायी संसदीय समिति के दौरे के दौरान समिति के सदस्यों की सुविधा के लिए पावर प्वाइंट प्रस्तुति तथा अन्य दस्तावेज संबंधी तैयारियाँ हिंदी में की गईं.
- 28.4 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संगठन के 93 कर्मचारियों ने प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं. कंपनी के कार्यपालक तथा कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए चार द्वि-दिवसीय तथा एक पाँच-दिवसीय हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं. हिंदी शिक्षण योजना,

राजभाषा विभाग, भारत सरकार के तत्वावधान में कंपनी परिसर में कुल 66 अधिकारी एवं कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए कुल तीन बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये.

- 28.5 दि. 1 से 14 सितंबर, 2012 के दौरान हिंदी दिवस मनाया गया. इस अवसर पर संसदीय राजभाषा समिति को दिये गये आश्वासन के अनुपालन में मल्टीमीडिया के जरिये मूल्य आधारित फिल्में दर्शायी गयीं. दि. 14 सितंबर, 2012 को कंचनबाग में और दि. 10 सितंबर, 2012 को भानूर इकाई में हिंदी दिवस मनाया गया. सतर्कता जागरूकता सप्ताह तथा राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह के अवसर पर हिंदी, अंग्रेज़ी तथा तेलुगु भाषाओं में विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं.

- 28.6 कंपनी की गृह-पत्रिका "डायनामिक समाचार" त्रिभाषी रूप में प्रकाशित की गई, कर्मचारियों की वेतनपरिचियों का स्थायी डॉटा, अनुबंध ज्ञापन प्रलेख, कंपनी की वेबसाइट आदि द्विभाषी बनाये गये.

29. सतत विकास, प्रौद्योगिकी संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास

- 29.1 उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग द्वारा विकास प्रक्रिया को पर्यावरण हितैषी पद्धति से आगे बढ़ाने के लिए सतत विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है.
- 29.2 बी डी एल ने ऊर्जा संरक्षण के लिए नई प्रौद्योगिकी एवं पद्धतियों को अपनाना शुरू किया है जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिली है.
- 29.3 ऊर्जा ऑडिट सिफारिशों के कार्यान्वयन से प्रति वर्ष 3.71 लाख यूनिट की विद्युत ऊर्जा की बचत हो रही है जो 3.71 टन के कार्बन उत्सर्जन का समतुल्य है. इससे प्रति वर्ष लगभग रु. 19.66 लाख की बचत हो रही है. सोलार आधारित एल ई डी स्ट्रीट लाइट लगाने से 10.74



टन तक के कार्बन उत्सर्जन को कम किया गया है।

29.4 व्यर्थ जल का शुद्धीकरण, व्यर्थ शुद्धीकरण सुविधा से अपेय प्रयोजनों के लिए प्रतिदिन 2 लाख लीटर पानी उपलब्ध हो रहा है जिससे 6798 टन तक कार्बन उत्सर्जन कम किया गया है। बी डी एल के कंचनबाग एवं भानूर इकाइयों के परिसर में 10,000 पेड़-पौधे लगाये गये जिससे परिवेश-तापमान में कमी, भूक्षरण निवारण, छाँव प्रदान करना तथा संयंत्र द्वारा कार्बन डायक्साईड का शुद्धीकरण हासिल किया गया है।

29.5 बी डी एल, सतत विकास को सुनिश्चित करने वाली प्रौद्योगिकी एवं पद्धतियों के कार्यान्वयन के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा।

30. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व

30.1 बी डी एल ने पटानचेरु मंडल के 15 स्कूल के कुल 2453 विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन प्रायोजित करने के लिए दि. 30 जुलाई, 2012 को दि अक्षयपात्र फाउंडेशन (टी ए पी एफ) के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किये। वर्ष 2012-13 के दौरान टी ए पी एफ को रु. 28.14 लाख का भुगतान किया गया है।

30.2 वर्तमान वर्ष की गतिविधियों के अंतर्गत तीन वित्तीय वर्ष तक आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के नारायणपुर तथा चौटुप्पल मंडल के चुने गये तांडाओं में वृद्धों की स्वास्थ्य जाँच तथा निःशुल्क दवाइयाँ वितरण के लिए मोबाइल

चिकित्सा इकाई चलाई जाएगी। यह कार्य वर्ष 2012-13 से आरंभ हो गया। इस कार्य के लिए इस वर्ष रु. 15.42 लाख का खर्चा आया।

30.3 बी डी एल ने आदिवासी समुदायों में सुरक्षित स्वस्थ साफ-सफाई की आदतें विकसित करने तथा नलगोंडा जिले के नारायणपुर तथा चौटुप्पल मंडल के चुने हुए तांडा में पर्यावरण हितैषी शौचालय बनवाने के उद्देश्य से दि. 22 अगस्त, 2012 को "आहार उत्पादन कार्यक्रम" (एक्शन फार फुड प्रोडक्शन) (ए एफ पी आर ओ) के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किये। वर्ष 2012-13 के दौरान इस कार्य के लिए रु.38.91 लाख का खर्चा आया।

30.4 वर्ष 2012-13 के दौरान आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के नारायणपुर, पीपल पहाड़ तथा जनगाँव में तीन सामुदायिक पेयजल केंद्र स्थापित करने के लिए नांदी फाउंडेशन को रु.27.13 लाख का भुगतान किया गया। इस सी एस आर गतिविधि का कार्य जारी है।

30.5 सोलार फुड प्रॉसेसिंग प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में विकासशील संस्थापकों को प्रशिक्षण की सुविधा स्थापित करने के लिए वर्ष 2012-13 के लिए एक गैर-सरकारी संगठन "समाज या ऊर्जा, पर्यावरण और विकास (एस ई ई डी)" को रु. 15 लाख का भुगतान किया गया।

30.6 सी एस आर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए रु.7.39 लाख का व्यय किया गया।

31. सतर्कता

31.1 दि. 29 अक्टूबर, 2012 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने सीएमडी सम्मेलन कक्ष से प्रतिज्ञा दिलाई तथा आंध्र प्रदेश सरकार के भूतपूर्व विशेष प्रधान सचिव श्री एस अन्वर, आई ए एस (नि.) ने मुख्य अतिथि के रूप में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन किया। "सार्वजनिक खरीदी में पारदर्शिता" इस वर्ष का मुख्य उद्देश्य रहा। इन्होंने सार्वजनिक खरीदी में पारदर्शिता के



दि. 26 सितंबर, 2012 को हेल्प एज इंडिया मोबाइल मेडिकर यूनिट का उद्घाटन करते हुए डॉ. एन के राजू, अधिशासी निदेशक (का. एवं प्रशा.).



दि. 29 अक्टूबर से 03 नवंबर, 2012 के दौरान संपन्न सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री एम ईश्वर, आई टी एस.

महत्व पर अपने विचार व्यक्त किये.

- 31.2 सतर्कता सप्ताह के दौरान, मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा कंचनबाग एवं भानूर के सभी प्रभाग एवं विभागों के साथ परस्पर चर्चा सत्र आयोजित किये गये. मुख्य सतर्कता अधिकारी ने बी डी एल में सतर्कता की भूमिका, विशेषकर निवारण सतर्कता पर अधिक बल दिया तथा प्रौद्योगिकी लेवेरेजिंग के महत्व पर बल दिया. उन्होंने ई-खरीदी के कार्यान्वयन तथा भर्ती नियमावली के संशोधन पर संतोष व्यक्त किया.
- 31.3 दि. 30 अक्टूबर 2012 को भानूर इकाई में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन श्री आर के शेखावत, निदेशक (सतर्कता, रक्षा उत्पादन विभाग), रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ने किया. उन्होंने इस अवसर पर अतिथि व्याख्यान दिया. उन्होंने सार्वजनिक खरीदी में पारदर्शिता की आवश्यकता पर व्याख्यान दिया तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन पर बल दिया.
- 31.4 दि. 02 दिसंबर, 2012 को आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन समारोह में श्री बी प्रसाद राव, आई पी एस, महानिदेशक, ए सी बी, आंध्र प्रदेश

मुख्य अतिथि रहे. उन्होंने भ्रष्टाचार, पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा के संबंध में उक्तियाँ प्रस्तुत करते हुए सोदाहरण अतिथि व्याख्यान दिया.

- 31.5 वर्ष के दौरान सी एम डी को सिफारिश सहित सिविल कार्य की निविदाओं में अनियमितताओं एवं प्रणाली परिवर्द्धन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा एक परियोजना के लिए कंटेनर की खरीदी पर प्रबंधन को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें यह सुझाया गया कि वैकल्पिक प्रक्रिया के द्वारा उत्पाद के कंटेनर खरीदे जाए ताकि प्रोन्नत प्रौद्योगिकीयुक्त, अधिक गुणवत्ता वाले और सस्ते कंटेनर भी उपलब्ध हैं. तदनुसार, प्रबंधन द्वारा एक समिति गठित की गई. समिति ने संबद्ध विनिर्माता से बातचीत कर प्रबंधन को रिपोर्ट प्रस्तुत की और शीघ्र कंटेनर खरीदे गये.
- 31.6 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ठेके पर नियुक्ति, नकद पुरस्कार, विदेश यात्रा, सुरक्षा आयाम, विभागीय



पदोन्नतियाँ, स्थानांतरण इत्यादि के संबंध में प्रबंधन को प्रणाली परिवर्द्धन सुझाव दिये गये तथा प्रथम नियुक्ति पर स्थाईकरण, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति, पदत्याग इत्यादि के संबंध में सतर्कता निकासी पद्धतियाँ बतायी गईं.

- 31.7 विक्रेता भुगतान के विवरण, निविदाओं के विवरण व स्थिति, अनुमोदित विक्रेताओं की सूची, सिंगल टेंडर व उच्च मूल्य वाले आदेश आदि के विवरण वेबसाइट में देना इत्यादि सुविधाओं से युक्त प्रौद्योगिकी लेवेरेज द्वारा कंपनी के सर्वांगीण लाभ के लिए पारदर्शिता बढ़ाने संबंधी पहलू पहचाने गये. आई एम एम तथा कार्मिक मैनुअल भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये. कार्यपालकों की भर्ती तथा विक्रेता पंजीकरण के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा कार्यान्वित की गई है. ई-खरीदी तथा ई-रिवर्स ऑक्शन, कर्मचारियों के वार्षिक संपत्ति रिटर्न का कंप्यूटरीकरण कार्यान्वित किये गये. अनुमोदन के लिए विभिन्न प्रस्ताव / फाइल की स्थिति जानने के लिए फाइल ट्रैकिंग सिस्टम (एफ टी एस) नामक एक नया साफ्टवेयर विकसित किया गया.

32. लेखापरीक्षा समिति

बेहतर नैगमिक अभिशासन के लिए एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था. लेखा-कार्य के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान पाँच बैठकें बुलायी गईं. गठन के विवरण, विचारार्थ विषय इत्यादि इस रिपोर्ट के साथ संलग्न नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक-II) में बताये जाते हैं.

33. सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणन

डी पी ई दिशानिर्देशों की ज़रूरतों के अनुरूप सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है तथा लेखापरीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

34. नैगमिक अभिशासन

- 34.1 नैगमिक अभिशासन का अर्थ है उत्तम प्रबंधन का निर्वहन, कानून का अनुपालन और नैतिक मूल्यों का पालन ताकि कंपनी के प्रमुख उद्देश्य शेयर-धारकों की मूल्य-वृद्धि एवं सामाजिक दायित्व का निर्वाह हो सके.
- 34.2 कंपनी में पेशेवर रुख तथा जवाबदेही तय करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था कायम है.
- 34.3 सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के संबंध में डी पी ई द्वारा दि. 14 मई, 2010 के तहत जारी दिशानिर्देशानुसार, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (अनुलग्नक-II) और नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट (अनुलग्नक-III), कंपनी में नैगमिक अभिशासन की स्थिति पर कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा दिया गया नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-IV) निदेशक रिपोर्ट के साथ संलग्न किये गये हैं.
- 34.4 नैगमिक अभिशासन के त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित फॉर्मेट में रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित की जा रही है.

35. लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मेसर्स डी वी रमण राव अण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हैदराबाद को वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षकों के रूप में पुनःनियुक्त किया.

36. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन कंपनी के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की 31 मार्च, 2013 को समाप्त लेखाओं पर टिप्पणी इस रिपोर्ट के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है.



दि. 03 जुलाई 2013 के अपने बी डी एल दौर के दौरान डेमो रूम देखते हुए वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं ऑडिट बोर्ड के पदेन सदस्य श्री वी के गिरिजावल्लभन, आई ए ए एस.

37. आभार प्रदर्शन

- 37.1 निदेशक, आपकी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान किये गये प्रयासों की प्रशंसा अपने अभिलेखों में अभिलिखित करते हैं. साथ ही, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, अन्य केंद्रीय सरकारी विभाग, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, डी आर डी ओ प्रयोगशालाएँ, भारत सरकार के गुणता आश्वासन अभिकरण तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों एवं अनुज्ञापितकर्ताओं के द्वारा समय-समय पर की गई सहायता के लिए निदेशकगण आभार व्यक्त करता है.
- 37.2 निदेशकगण कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स डी वी रमण राव अण्ड कंपनी के प्रति तथा प्रधान

निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, बंगलूर के प्रति उनके बहुमूल्य परामर्श और सहकार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है.

- 37.3 निदेशक मंडल, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) श्री पी के मिश्र को अपने सेवा-काल के दौरान दी गई अमूल्य सलाह के लिए तथा दि. 26 जून, 2013 को त्यागपत्र दिये निदेशक (तकनीकी) श्री जी राघवेंद्र राव को तथा अधिवर्षिता प्राप्त कर दि. 31 जुलाई, 2013 को सेवानिवृत्त हुए एअर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.) को अपने सेवाकाल के दौरान कंपनी को अमूल्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है.

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए



अनुलग्नक - I

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के तहत कर्मचारियों के विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम/ कार्य-प्रकृति	आयु (वर्ष)	पूर्व अनुभव	शैक्षिक योग्यता	भर्ती तिथि	अनुभव (वर्ष)	सकल पारिश्रमिक (रु)
(ए)	वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान वार्षिक रु.60,00,000/- से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण :							
(बी)	वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान प्रति माह रु.5,00,000/- से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण :							
1	श्री एल रामन	जूनियर इंजीनियर आई एम एम (सीपीईडी)	60	1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1975 तक मेसर्स नटराज इंडस्ट्रीज़, बालानगर, हैदराबाद में सूपरवाइज़र 1 अप्रैल, 1975 से 19 नवंबर, 1977 तक मेसर्स प्रेटो इंडिया, बालानगर, हैदराबाद में फोरमैन	एस एस एल सी एवं एल एम ई	28 नवंबर, 1977	34	6,63,321
2	श्री एस यादगिरि	सी एम टी	60	-	आई टी आई फिटर	11 नवंबर, 1974	38	6,37,404
3	श्री के बसव राव	सी एम टी	60	-	आई टी आई फिटर	26 अप्रैल, 1975	37	6,36,341

- शून्य -





प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट

1. कंपनी की संरचना एवं विकास

- 1.1 सन् 1970 में स्थापित भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है. सशस्त्र सेनाओं के लिए आवश्यक अत्याधुनिक रक्षा उपकरण बनाना कंपनी का मुख्य उद्देश्य है.
- 1.2 विश्वविख्यात सहभागिकर्ताओं तथा डी आर डी ओ से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के अलावा बी डी एल आंतरिक अनुसंधान एवं विकास द्वारा नये उत्पाद भी विकसित करता है.
- 1.3 कंपनी दूसरी एवं तीसरी पीढ़ी के टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण का प्रमुख उत्पादन अभिकरण है. यह भारतीय सशस्त्र सेना की आवश्यकतानुसार सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों (सैम) की सभी श्रेणियों का प्रमुख उत्पादन अभिकरण है. कंपनी कुछ सैम प्रणालियों का अग्रणी विनिर्माता है. कंपनी, सशस्त्र सेना द्वारा प्रयुक्त विन्टेज प्रक्षेपास्त्रों का पुनर्संजीकरण -कार्य भी करने जा रही है. आंतरिक अनुसंधान एवं विकास द्वारा विकसित उत्पाद के लिए व्यापक स्वीकृति मिल रही है तथा सशस्त्र सेना के सभी स्कंधों में इसे अपनाया जा रहा है.
- 1.4 31 मार्च, 2013 तक कंपनी के पास लगभग रु. 17,300/- करोड़ रुपये के क्रय-आदेश हैं. कुछ ठेके से संबंधित बातचीत समाप्त हो गयी है. सौदे पूरे कर चुके ठेकों के प्राप्त होते ही इन आदेशों में और वृद्धि होने की संभावना है. कंपनी, भारतीय वायु सेना, नौसेना के लिए आवश्यक सतह से हवा में मार करने वाले लघु गति प्रक्षेपास्त्र तथा अंतर्जलास्त्र के लिए एक बहुत बड़े संयुक्त विकास कार्यक्रम में भागीदार बन कर इस क्षेत्र में विकासमान है.

2. ताकत एवं कमज़ोरियाँ

2.1 ताकत

- 2.1.1 प्रक्षेपास्त्र, विस्फोटक प्रणाली का ज्ञान रखनेवाली कुशल व प्रशिक्षित मानव-शक्ति.
- 2.1.2 प्रक्षेपास्त्र एकीकरण एवं विनिर्माण में 40 से अधिक वर्ष का अनुभव.
- 2.1.3 पर्याप्त भूमि खरीदी गयी तथा आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नयी उत्पादन व्यवस्था

बनाने के लिए तैयार.

- 2.1.4 डी आर डी ओ तथा अन्य प्रयोगशालाओं के साथ पहुँच.
- 2.1.5 आधुनिक विनिर्माण तथा परीक्षण सुविधाओं से युक्त.

2.2 कमज़ोरियाँ

- 2.2.1 डी आर डी ओ द्वारा विकसित परियोजनाओं के लिए विक्रेताओं की कमी.
- 2.2.2 दीर्घावधि डी आर डी ओ परियोजनाएँ.
- 2.2.3 निर्यात पर प्रतिबंध.
- 2.2.4 कर्मचारियों की औसतन उम्र की अधिकता.
- 2.2.5 मूलभूत प्रौद्योगिकी के लिए ओ ई एम पर निर्भर होना.

3. अवसर एवं खतरे

3.1 अवसर

- 3.1.1 सशस्त्र सेना के आधुनिकीकरण को प्रमुखता देना.
- 3.1.2 डी पी पी - 2013 द्वारा रक्षा अधिग्रहणों में देशीकरण शेयर बढ़ाया जाना तथा देशीकृत उत्पादों को प्राथमिकता दिया जाना.
- 3.1.3 ऑफसेट.
- 3.1.4 रक्षा बजट तथा शस्त्रों की माँग में वृद्धि.

3.2 खतरे

- 3.2.1 शस्त्र उत्पादन के क्षेत्रों में निजी उद्यमों का सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना.
- 3.2.2 कौशल्युक्त / प्रशिक्षित मानव-शक्ति का निजी क्षेत्रों में चला जाना.
- 3.2.3 किसी भी ओ ई एम उत्पाद पर प्रौद्योगिकी अंतरण पूर्ण न होने की वजह से ओ ई एम पर निर्भर होता रहना.

4. उत्पादवार कार्यनिष्पादन

- 4.1 प्रमुख उत्पादों का पण्यवर्त निम्न प्रकार है

(₹ करोड़)

i)	कांकूर्स-एम एटीजीएम	247.41
ii)	इन्चार एटीजीएम	100.46
iii)	मिलान-2टी एटीजीएम	232.47
iv)	आकाश सैम	255.12
iv)	अन्य	239.25
	कुल	1074.71



5. परिदृश्य

उत्कृष्ट उपकरणों के साथ आधुनिकीकरण ही भारतीय सशस्त्र सेना का वर्तमान मंत्र है. इससे बी डी एल की संव्यवहार समर्थता में अपार वृद्धि हुई है. साथ ही, उन्नत एवं सम्मिश्र शस्त्र प्रणालियों का विनिर्माण एवं आपूर्ति तथा गुणता एवं सुर्पुदगी के अनुवर्तन के लिए चुनौती भी दे रही है.

6. जोखिम एवं चिंताएँ

- डी आर डी ओ परियोजनाओं में लगने वाली दीर्घावधि.
- अभिकल्पक द्वारा विकसित एकल स्रोत विक्रेता निर्भरता.
- निर्यात पर प्रतिबंध.
- कुछ परियोजनाओं के संदर्भ में लगातार ओ ई एम पर निर्भर होते जाना.
- ठेके के निष्कर्ष पर पहुँच कर आदेश प्राप्त होने में लगनेवाली दीर्घावधि.
- सशस्त्र सेनाओं द्वारा शस्त्र-अधिग्रहण के लिए अधिक समय लेना कंपनी के लागत नियंत्रण उपाय के लिए चुनौती बन गया है.

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने सभी प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों तथा प्रणालियों के वित्तीय औचित्य के सभी मानदण्डों को बेहतर बनाने की व्यवस्था की है. इनकी पर्याप्तता सुनिश्चित करने तथा इस पर रिपोर्ट देने के लिए बाह्य लेखा परीक्षक फर्म को नियुक्त किया गया है. बीडीएल के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग तथा आंतरिक लेखा फर्म की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण लेखा परीक्षक समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया.

8. ऑपरेशनल कार्यनिष्पादन से संबंधित वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चर्चा

8.1 वित्तीय मामलों में कंपनी के कार्यनिष्पादन का सार इस प्रकार है :

विवरण	करोड़ रुपये में		%वृद्धि
	2011-12	2012-13	
विक्रय मूल्य	959.12	1074.71	12%
उत्पादन मूल्य	992.94	1175.52	18%
मूल्य वर्धन	359.41	395.95	10%
प्रति कर्मचारी मूल्यवर्धन (रु.लाख)	11.44	12.00	5%
कराधान पूर्व लाभ	348.19	419.06	20%
कराधान बाद लाभ	234.96	288.40	23%

8.2 निम्नांकित विवरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित है :

विवरण	करोड़ रुपये में		%वृद्धि
	2011-12	2012-13	
सकल निरुद्ध	604.24	711.55	18%
मूल्य-ह्रास	392.57	433.55	10%
निवल निरुद्ध	211.67	278.00	31%
कार्यगत पूँजी	458.97	614.58	34%
नियोजित पूँजी	670.64	892.58	33%
निवल मालियत	732.19	953.08	30%

9. मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध फ्रंट में नियोजित कर्मचारियों सहित सामग्री विकास

9.1.1 31 मार्च, 2013 तक बीडीएल की मानव-शक्ति निम्नवत है :

	कार्यपालकेतर	कार्यपालक	कुल
पुरुष	2257	740	2997
स्त्री	217	86	303
कुल	2474	826	3300
पिछले वर्ष	2344	798	3142

9.1.2 मानव संसाधन विकास ने बी डी एल में परियोजना प्रबंधन व्यावसायिकों (पी एम पी) का विशिष्ट समुदाय को स्थापित करने की एक उत्कृष्ट परियोजना बनायी. इस ओर कदम बढ़ते हुए बी ई क्यू आई, बेंगलूर के सहयोग से पी एम आई, यू एस ए द्वारा 30 कार्यपालकों को प्रशिक्षित कर प्रमाणित करने की योजना की गई है. इस तरह प्रशिक्षित तीस पी एम पी प्रमाणित व्यावसायिक क्रमवार ढंग से परियोजना प्रबंधन पर आंतरिक तौर पर कार्यपालकों को प्रशिक्षित करेंगे.

9.2 औद्योगिक संबंध

9.2.1 वर्ष के दौरान समता एवं मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखने में सभी वर्ग के कर्मचारियों तथा मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों व अन्य ट्रेड यूनियन और संस्थाओं का लगातार सहयोग व समर्थन मिलता रहा. पूरे वर्ष के दौरान कार्यशाला एवं संयंत्र स्तरीय समितियों तथा कार्यकारिणी समिति, संरक्षा समिति, कैण्टीन समिति तथा कल्याण समिति जैसी अन्य विधिक समितियों ने मिलजुल कर शॉप फ्लोर क्षेत्रों में कार्यस्थल अनुशासन में सहयोग दिया.



10. पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरण ऊर्जा विकास

- 10.1 बी डी एल ने ऊर्जा संरक्षण के लिए नई प्रौद्योगिकी एवं पद्धतियों को अपनाना शुरू किया है जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिलती है.
- 10.2 व्यर्थ जल का शुद्धीकरण, व्यर्थ शुद्धीकरण सुविधा से अपेय प्रयोजनों के लिए प्रतिदिन 2 लाख लीटर पानी उपलब्ध हो रहा है जिससे 6798 टन तक का कार्बन उत्सर्जन कम किया गया है. बी डी एल के कंचनबाग एवं भानूर इकाइयों के परिसर में 10,000 पेड़-पौधे लगाये गये जिससे परिवेश-तापमान में कमी, भूक्षरण निवारण, छाँव प्रदान करना तथा संयंत्र द्वारा कार्बन डायऑक्साईड का शुद्धीकरण किया गया है.

11. विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी, अंतिम उत्पादों के संयोजन में देशीय घटकों को बढ़ावा देते हुए, ओ ई एम से घटक एवं उप-प्रणालियों का आयात घटाते हुए विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.

12. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व

- 12.1 बी डी एल ने पटानचेरु मंडल के 15 स्कूल के कुल 2453 विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन प्रायोजित करने के लिए दि. 30 जुलाई, 2012 को दि अक्षयपात्र फाउंडेशन (टी ए पी एफ) के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किये. वर्ष 2012-13 के दौरान टी ए पी एफ को रु. 28.14 लाख का भुगतान किया गया है.

- 12.2 वर्तमान वर्ष की गतिविधियों के अंतर्गत तीन वित्तीय वर्ष तक आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के नारायणपुर तथा चौटुप्पल मंडल के चुने गये तांडाओं में वृद्धों की स्वास्थ्य जाँच तथा निःशुल्क दवाइयाँ वितरण के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाई चलाई जाएगी. यह कार्य वर्ष 2012-13 से आरंभ हो गया. इस कार्य के लिए इस वर्ष रु. 15.42 लाख का खर्चा आया.

- 12.3 बी डी एल ने आदिवासी समुदायों में सुरक्षित स्वस्थ सैनिटेशन की आदतें विकसित करने तथा नलगोंडा जिले के नारायणपुर तथा चौटुप्पल मंडल के चुने हुए तांडा में पर्यावरण हितैषी शौचालय निर्माण के उद्देश्य से दि. 22 अगस्त, 2012 को "आहार उत्पादन कार्यक्रम" (एक्शन फार फुड प्रोडक्शन) (ए एफ पी आर ओ) के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किये. वर्ष 2012-13 के दौरान इस कार्य के लिए रु.38.91 लाख का खर्चा आया.

- 12.4 वर्ष 2012-13 के दौरान आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के नारायणपुर, पीपल पहाड़ तथा जनगाँव में तीन सामुदायिक पेयजल केंद्र स्थापित करने के लिए नांदी फाउंडेशन को रु.27.13 लाख का भुगतान किया गया. सी एस आर का यह कार्यक्रम जारी है.

- 12.5 सोलार फुड प्रॉसेसिंग प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में विकासशील संस्थापकों को प्रशिक्षण की सुविधा स्थापित करने के लिए वर्ष 2012-13 के लिए एक गैर-सरकारी संगठन "समाज या ऊर्जा, पर्यावरण और विकास (एस ई ई डी)" को रु. 15 लाख का भुगतान किया गया.

- 12.6 सी एस आर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए रु.7.39 लाख का व्यय किया गया. लए रु.7.39 लाख का व्यय किया गया.





नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट

1. नैगमिक अभिशासन संबंधी कंपनी की विचारधारा

- 1.1 कंपनी के सभी कार्यों में पारदर्शिता, उचित बातों का प्रकटन, कानून का अनुपालन, नैतिक मूल्यों के पालन सहित सभी स्वामित्वधारकों के हितों का ध्यान रखना कंपनी की नैगमिक अभिशासन संबंधी विचारधारा है।
- 1.2 कंपनी अपने व्यावसायिक उपागम के साथ नैगमिक अभिशासन वचनों का लिखित एवं व्यावहारिक रूप में यथावत पालन कर रही है।
- 1.3 कंपनी की गतिविधियों का सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के निरीक्षक एवं महालेखापरीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (डी डी पी) आदि कई बाह्य एजेंसियों द्वारा अनुवीक्षण किया जाता है।

2. निदेशक मण्डल

- 2.1 निदेशकों का गठन एवं उनकी श्रेणी
- 2.1.1 समय-समय पर संशोधित संस्था के अंतर्नियम के प्रावधान अनुसार बी डी एल के निदेशक-मण्डल में न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 15 निदेशक होंगे। निदेशकों का क्वालिफिकेशन शेयर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- 2.1.2 भारत सरकार द्वारा कंपनी के निदेशक-मण्डल का पुनर्गठन किया गया जिसमें 9 सदस्य हैं अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 4 पूर्णकालिक निदेशक, 2 अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं 3 अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक। इनके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय के निदेशानुसार 4 स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य यथा - वायुसेना के उपाध्यक्ष, नौसेना के उपाध्यक्ष, थल सेना के उप प्रमुख एवं डी आर डी ओ के मनोनीत सदस्य शामिल हैं।
- 2.1.3 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष से संबंधित बोर्ड के सदस्यों का विवरण निम्नवत् है :

(अ) कार्यकारी/पूर्णकालिक निदेशक :

- (i) श्री एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- (ii) एयर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव, वि से मे (नि.)

निदेशक (उत्पादन)

- (iii) श्री एसवी सुब्बा राव

निदेशक (वित्त)

- (iv) श्री जी राघवेंद्र राव

निदेशक (तकनीकी)

(आ) अंशकालिक सरकारी निदेशक

- (i) श्री रविकांत

संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली)

रक्षा उत्पादन विभाग

रक्षा मंत्रालय

- (ii) श्री आर जी विश्वनाथन

अपर वित्त सलाहकार (आर अण्ड डी), डीआरडीओ

संयुक्त सचिव

रक्षा मंत्रालय

(इ) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

- (i) प्रो. आर के मिश्र

वरिष्ठ प्रोफेसर एवं निदेशक

सार्वजनिक उद्यम संस्थान

- (ii) श्री के एल मेहरोत्रा

भूतपूर्व सी एम डी, मैगनीज़ ओर (इं) लिमिटेड

- (iii) श्री ए के कपूर

प्रतिष्ठित वैज्ञानिक

डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय

2.1.4 दिनांक 31 मार्च, 2013 तक निदेशक मंडल की बैठक के वर्तमान स्थायी विशेष आमंत्रितों का विवरण इस प्रकार है :

- (i) एयर मार्शल डी सी कुमारिया,

प वि से मे, अ वि से मे, वि मे, वि से मे, ए डी सी वायु सेना उपाध्यक्ष

- (ii) ले. जनरल नरेन्द्र सिंह, से मे, वि से मे

थल सेना के उप प्रमुख (पी अण्ड एस)

- (iii) वाईस एडमिरल आर के धोवन,

प वि से मे, अ वि से मे, यु से मे नौसेना के उपाध्यक्ष

- (iv) श्री एस सोम, वैज्ञानिक "एच"

निदेशक, डी आर डी एल, हैदराबाद



2.2 निदेशक-मण्डल की बैठकें एवं उपस्थिति; निदेशक की सदस्यता या अध्यक्षता में गठित अन्य बोर्ड या बोर्ड समितियों की संख्या :

- 2.2.1 वर्ष 2012-13 के दौरान दि. 04 मई, 2012; 13 जुलाई, 2012; 29 अगस्त, 2012; 24 सितंबर, 2012; 12 दिसंबर 2012 और 01 मार्च, 2013 को निदेशक-मण्डल की कुल 6 बैठकें हुईं. निदेशक मण्डल की बैठक हर तीन महीने में कम से कम एक बार और वर्ष के दौरान ऐसी चार बैठकें होनी आवश्यक हैं. निदेशक मण्डल की सूचना एवं निर्णय के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाती है.
- 2.2.2 वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों, वार्षिक आम सभा में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनकी अन्य निदेशक-सदस्यता/समिति सदस्यता के विवरण इस प्रकार हैं :

निदेशक	निदेशक मंडल की बैठकें		24 सितंबर, 2012 को संपन्न विगत एजीएम में उपस्थिति	अन्य निदेशक-सदस्यता में संपन्न बैठकें	सभी कंपनियों को मिलाकर समितियों में सदस्यता	
	निदेशकों के कार्य-काल में संपन्न निदेशक - मण्डल की बैठकें	कुल बैठकों में प्रतिभाग			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
कार्यकारी निदेशक						
श्री एस एन मंथा सी एम डी	6	6	हाँ	-	2	-
एयर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव, वि से मे (नि.) निदेशक (उत्पादन)	6	4	-	-	-	2
श्री एस वी सुब्बा राव, निदेशक (वित्त)	6	6	हाँ	-	-	4
श्री जी राघवेंद्र राव निदेशक (तकनीकी) (दि. 30 नवंबर, 2012 से दि.26 जून, 2013 तक)	2	2	-	-	-	2
अंशकालिक सरकारी निदेशक						
श्री पी के मिश्र संयुक्त सचिव (एम एस) (09 दिसंबर, 2012 तक)	4	3	-	-	-	1
श्री आर जी विश्वनाथन अपर वित्त सलाहकार (डीआरडीओ) एवं सं.स.	6	4	-	1	-	-
श्री रविकांत श्रीकांत संयुक्त सचिव (एम एस) (10 दिसंबर, 2012 से)	2	2	-	-	-	2
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक						
प्रो. आर के मिश्र	6	4	हाँ	-	2	2
श्री के एल मेहरोत्रा	6	5	हाँ	3	2	3
श्री ए के कपूर	6	6	हाँ	-	-	2



- 2.2.3 अपरिहार्य कारणों से बैठक में भाग नहीं ले पाने की स्थिति में निदेशकों को अनुपस्थिति अवकाश दिया गया।
- 2.2.4 इस संदर्भ में डी पी ई दिशानिर्देशानुसार कोई भी निदेशक अपने कार्यरत सभी कंपनियों में किन्हीं दस से अधिक समितियों का सदस्य या किन्हीं पाँच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

2.3 नये निदेशकों की नियुक्ति

- 2.3.1 संस्था के अंतर्नियमों के तहत सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्ष 2012-13 के दौरान श्री एस एन मंथा, निदेशक (तकनीकी) को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में, श्री जी राघवेंद्र राव को निदेशक (तकनीकी) के रूप में और रक्षा उत्पादन विभाग के संयुक्त सचिव श्री रविकांत को श्री पी के मिश्र के स्थान पर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के संबंध में तीन राष्ट्रपति आदेश प्राप्त हुए। इन नवनियुक्त निदेशकों से संबंधित आवश्यक विवरण इस प्रकार है :

2.3.1 श्री एस एन मंथा

श्री एस एन मंथा ने दि. 01 अप्रैल, 2012 से कंपनी के सी एम डी के रूप में पदभार ग्रहण किया।

इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैकानिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि तथा इग्नू, नई दिल्ली से एम बी ए की उपाधि प्राप्त की। उत्तम अकादमिक प्रतिभा रखने वाले श्री मंथा इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्कृष्टता के साथ तथा एम बी ए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।

श्री एस एन मंथा ने आरंभिक तौर पर वर्ष 1977 से 1987 तक इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज़, रायबरेली में कार्यरत थे। श्री मंथा सन् 1987 में भारत डायनामिक्स लिमिटेड में भर्ती हुए। इन्हें मिसाइल उद्योग में काफी अनुभव प्राप्त है तथा कंपनी के लगभग सभी प्रभागों में इन्होंने अपनी सेवाएँ दीं।

भानूर इकाई में परियोजना स्तर पर अर्थात् 1987 से 1994 तक घटक उत्पादन तथा टूल रूम विभाग स्थापित करने में इन्होंने मुख्य भूमिका निभायी। तदुपरांत, इन्होंने घटक उत्पादन, टूल रूम तथा टूल योजना विभाग के प्रभारी रहे तथा कांकूर्स मिसाइल घटक तथा यूनिकायड लांचर के सफल देशीकरण में योगदान दिया। तब से देशीकृत कांकूर्स मिसाइल के विनिर्माण के क्षेत्र में पीछे मुड़ कर देखना नहीं हुआ जिससे विदेशी मुद्रा की काफी बचत हुई।

श्री मंथा वर्ष 1994-98 के दौरान घटक उत्पादन तथा असेंबली विभागों के प्रधान के नाते देशीकृत कांकूर्स मिसाइल के उत्पादन से जुड़े रहे। मिसाइल तकनोलॉजी के क्षेत्र में इनके विशेष अनुभव को देखते हुए प्रबंधन ने समय-समय पर मिसाइल असफलता विश्लेषण करने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी।

वर्ष 1998-2000 के दौरान भानूर इकाई के गुणता नियंत्रण प्रधान के रूप में उत्पाद विश्वास, ग्राहक विश्वास तथा संतुष्टि की वृद्धि हुई और गुणता लागत में कमी आई।

श्री एस एन मंथा अपनी कर्मठता एवं अपने कामकाज में पूरी व्यावसायिक मानदंड अपनाने के लिये जाने जाते हैं। बी डी एल - भानूर इकाई में अपनी तरह की पहली प्रोत्साहन योजना बनाने में तथा मानव-शक्ति योजना बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अपनी उत्कृष्ट सेवाएँ तथा निष्ठा को देखते हुए इन्हें कांकूर्स-एम तथा इन्वार मिसाइल के देशीकरण की चुनौती लेने भानूर इकाई के प्रधान के रूप में महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति दी गई।

भानूर में उनकी उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए वर्ष 2000 में कंचनबाग के एस एफ डी प्रभाग में, वर्ष 2001 में सी पी आई जी एम पी प्रभाग के प्रधान के रूप में, तदुपरांत वर्ष 2003 में पदोन्नति पर पृथ्वी प्रभाग के प्रधान के रूप में तैनात किए गए। इन्होंने सभी प्रभागों को बड़ी व्यवसायिकता से सँभाला और मिसाइल



तकनोलॉजी के क्षेत्र में अद्यतन ज्ञान अर्जित किया। यही प्रतिभा श्री मंथा को अन्यो से अलग करती है। तकनीकी ज्ञान और व्यावसायिक कौशल को देखते हुए श्री मंथा को दि. 01 अक्टूबर, 2008 से बोर्ड स्तर पर निदेशक (तकनीकी) बनाया गया।

अपने कौशल व तकनीकी ज्ञान का विकास करने के लिए इन्होंने कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। कांक्रूस, कांक्रूस-एम के संबंध में कई बार सरकारी तौर पर इन्होंने स्विट्जर्लैंड और रूस की यात्रा की। इन्होंने बी डी एल में 25 साल का सेवा-काल पूरा किया।

मिसाइल उद्योग, तकनीकी ज्ञान, प्रबंधन कौशल और व्यावसायिक क्षमताओं को देखते हुए इन्हें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

2.3.2 श्री जी राघवेंद्र राव

भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) के पद पर अपनी नियुक्ति पर श्री जी राघवेंद्र राव ने दि. 30 नवंबर, 2012 को पदभार ग्रहण किया।

श्री जी राघवेंद्र राव का जन्म दि. 23 जून, 1956 को पुणे में हुआ। श्री राव ने उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से मैकानिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अक्टूबर, 1979 में बी ई एल, बेंगलूरु के सोनार सिस्टम्स प्रभाग में प्रोबेशनरी इंजीनियर के रूप में पदभार ग्रहण किया।

श्री राव इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण विनिर्माण के लिए हैदराबाद में कंपनी की नई इकाई स्थापित करने के लिए सन् 1984 में गठित कोर टीम के सदस्य रहे। हैदराबाद इकाई के विकास तथा अत्याधुनिक सुविधाएँ स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस इकाई के संव्यवहार व टर्नओवर की सबसे बड़ी एस बी यू बनाने में इनका विशिष्ट योगदान रहा।

हैदराबाद में अपने सेवाकाल के दौरान इन्होंने डी अण्ड ई, उत्पादन नियंत्रण, सामग्री नियंत्रण व भण्डारण, समायोजन तथा कार्यक्रम प्रबंधन जैसे बहुप्रकार्यात्मक क्षेत्रों में बृहद् अनुभव प्राप्त किया। आर डब्ल्यू आर एस, ई एस एम तथा भूमि आधारित नौ-वाहित तथा वायु-

वाहित प्लैटफॉर्म के लिए ई डब्ल्यू प्रणालियों की सुपुर्दगी में बी ई एल - हैदराबाद इकाई द्वारा हासिल की गई सभी सफलताओं से वे अविभाज्य रूप से जुड़े रहे।

गुणता नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन की गतिविधियों में इनकी विशेष रुचि है तथा ये आई एस ओ 14001 के प्रबंधन प्रतिनिधि भी रहे। हैदराबाद इकाई के सक्रिय सदस्य होते हुए इन्होंने वर्ष 2007 और 2012 में "सी आई आई ई एक्स आई एम स्ट्रिंग कमीटमेंट टू एक्सलेंट पुरस्कार" भी हासिल किया। ये स्वयं सी आई आई संव्यवहार उत्कृष्टता मॉडल के कुशल मूल्यांकनकर्ता हैं।

वर्तमान नियुक्ति से पहले श्री राव ने मई, 2008 से जनवरी, 2010 तक बी ई एल - बेंगलूरु के इलेक्ट्रॉनिक वारफेर अण्ड एवियानिक्स एस बी यू विभाग के महाप्रबंधक व प्रधान के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। तदुपरांत, बी ई एल - हैदराबाद में महाप्रबंधक के रूप में इनकी नियुक्ति (फरवरी 2010 में) की गई और दि. 29 नवंबर, 2012 तक ये यूनिट के प्रधान रहे।

सतत् अध्येता होते हुए, इन्होंने सार्वजनिक उपक्रम संस्थान, हैदराबाद से 1989 में एम बी ए की उपाधि उत्कृष्टता एवं स्वर्णपदक के साथ प्राप्त की।

2.3.3 श्री रविकांत

भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त श्री रविकांत ने दि. 10 दिसंबर, 2012 को पदभार ग्रहण किया।

श्री रविकांत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) के वरिष्ठ अधिकारी हैं और संप्रति रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव हैं। मिसाइल प्रणालियाँ, भू-प्रणालियाँ तथा रक्षा संबंधी उद्योगों की अनुज्ञप्तियों से संबंधित विषय इनके कार्य-क्षेत्र हैं। बिहार कैडर के होने के नाते श्री रविकांत ने बिहार राज्य में कई महत्वपूर्ण पद सँभाले। ये बिहार के दो मुख्य जिलों के मेजिस्ट्रेट रहे। इसके अलावा, इन्होंने गृह, कार्मिक एवं प्रशासन सुधार, ऊर्जा, सहकारिता, विज्ञान एवं तकनोलॉजी विभागों के सचिव रहे।

इससे पूर्व श्री रविकांत नई दिल्ली में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में उप सचिव तथा निदेशक पद पर कार्यरत रहे। कार्मिक प्रबंधन, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ तथा तकनीकी शिक्षा आदि क्षेत्रों



में इन्हें विस्तृत अनुभव प्राप्त है।

इन्होंने आई आई टी खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) से भौतिकी में स्नातक तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। साथ ही, अमेरिका के मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साईंस में एम एस की भी उपाधि प्राप्त की।

श्री रविकांत की दो संतान हैं।

3. निदेशक मंडल की समितियाँ :

3.1 बीडीएल में 31 मार्च, 2013 तक निदेशक मंडल की 6 समितियाँ कार्यरत हैं।

- (i) लेखापरीक्षा समिति
- (ii) पारिश्रमिक समिति
- (iii) खरीद समिति
- (iv) मानव संसाधन समिति
- (v) सतत् विकास के लिए समिति
- (vi) कंपनी में सी एस आर योजना के अनुवीक्षण के लिए समिति

3.2 इन समितियों की बैठकों के तुरंत बाद आयोजित की जाने वाली निदेशक मंडल की बैठकों में इनके कार्यवृत्त निदेशक मंडल की सूचना के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। बहुमत/सर्वसम्मति के आधार पर समितियों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।

4. लेखापरीक्षा समिति

4.1 विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण

4.1.1 डी पी ई द्वारा दि.14 मई, 2010 के का.ज्ञा. संख्या 18 (8)/2005-जीएम के तहत जारी सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के दिशानिर्देश अनुसार लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, अधिकार, जानकारी का समीक्षा क्षेत्र इत्यादि का संशोधन किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत हैं :

- i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं कंपनी की रिपोर्टिंग प्रक्रिया में चूकवश होनेवाली कमियों तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन।
- ii) लेखा-परीक्षा शुल्क निर्धारण के संबंध में निदेशक-मण्डल को सिफारिश करना।

- iii) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा अन्य प्रकार की प्रदत्त सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन।
- iv) निदेशक-मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करना।
- v) आंतरिक लेखा-परीक्षकों का कार्यनिष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- vi) आंतरिक लेखापरीक्षकों और/अथवा लेखा परीक्षकों से चर्चा कर कोई महत्वपूर्ण जानकारी ज्ञात कर उस पर अनुवर्ती कार्रवाई कराना।
- vii) लेखापरीक्षा से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं परिधि के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों से चर्चा करना तथा लेखापरीक्षा उपरान्त किसी चिंतनीय बात की जानकारी प्राप्त करने चर्चा।
- viii) नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा की गई लेखा-परीक्षा पर दिए गए निरीक्षणों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

4.1.2 कंपनी के कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए तीन सनदी लेखाकार फर्मों को नियुक्त किया गया है जो कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के अतिरिक्त हैं और इन आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्टों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई।

4.2 गठन, अध्यक्ष व सदस्यों के नाम

4.2.1 कंपनी के निदेशक मण्डल ने दि.04 मई, 2012 को संपन्न अपनी बैठक में कंपनी की लेखा-समिति का पुनर्गठन किया। दि.31 मार्च, 2013 तक लेखा-समिति में निम्नलिखित निदेशक सदस्य रहे :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) प्रो. आर के मिश्र | - अध्यक्ष |
| 2) श्री के एल मेहरोत्रा | - सदस्य |
| 3) श्री ए के कपूर | - सदस्य |

4.2.2 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में कार्यकारी निदेशक स्थायी आमंत्रित के रूप में बुलाए जाते हैं तथा सांविधिक लेखापरीक्षक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा करनेवाले बाह्य सनदी लेखाकार फर्म के प्रतिनिधि आमंत्रण पर उपस्थित हो सकते हैं। कंपनी सचिव इस लेखापरीक्षा समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

4.3 वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें व इनमें उपस्थिति

4.3.1 वर्ष 2012-13 के दौरान दि. 13 जुलाई, 2012;



दि. 29 अगस्त, 2012; दि. 24 सितंबर, 2012, दि. 10 दिसंबर, 2011 और 23 फरवरी, 2013 को लेखा-परीक्षा समिति की कुल पाँच बैठकें संपन्न हुईं. इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नवत् है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
1	प्रो. आर के मिश्र	5	5
2	श्री के एल मेहरोत्रा	5	5
3	श्री ए के कपूर	5	5

5. पारिश्रमिक समिति

5.1 निदेशक मण्डल ने दि. 26 नवंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्यक 2(70)/08/डीपीई (डब्ल्यू सी) के तहत डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार दि. 30 जनवरी, 2009 को संपन्न अपनी बैठक में पारिश्रमिक समिति का गठन किया स्वतंत्र निदेशक जिसके अध्यक्ष नामित किए गए. कार्यपालक वर्ग के कर्मचारियों में वितरित करने के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्ती वेतन पूल और नीति का निर्धारण करना, वार्षिक पी आर पी तथा उचित कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली संस्तुत करना इत्यादि इस समिति के विचारार्थ विषय होंगे.

5.2 नैगमिक अभिशासन के संबंध में डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देश तथा दि. 12 दिसंबर, 2012 को पुनर्गठित पिछली समिति के अनुसार समय-समय पर पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाता है. दि. 31 मार्च 2013 तक समिति की रचना निम्नवत् है :

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------|
| 1) श्री के एल महरोत्रा | - | अध्यक्ष |
| 2) प्रो. आर के मिश्र | - | सदस्य |
| 3) श्री ए के कपूर | - | सदस्य |
| 4) श्री रविकांत, सं. स. (प्र. प्र.) | - | सदस्य |

5.2.1 का. एवं प्रशा. के प्रधान पारिश्रमिक समिति के सचिव हैं.

5.3 वर्ष 2012-13 के दौरान दि. 04 मई, 2012 को पारिश्रमिक समिति की एक बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है -

क्र.सं.	निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
1.	श्री के एल मेहरोत्रा	1	1
2.	प्रो. आर के मिश्र	1	1
3.	श्री पी के मिश्र	1	-

5.4 पारिश्रमिक नीति/सभी निदेशकों को देय पारिश्रमिक के विवरण

5.4.1 केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, इनका कार्यकाल तथा इनको देय पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधी सरकारी पत्र में उनकी नियुक्ति से संबंधित निबंधन एवं शर्तें, कार्यकाल, मूल वेतन, वेतनमान, महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता आदि की विस्तृत जानकारी होती है तथा इसमें यह भी सूचित किया जाता है कि जो अन्य निबंधन एवं शर्तें इस पत्र में नहीं दी गई हैं वहाँ कंपनी से संबद्ध नियमावली लागू होगी.

5.4.2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति आरंभिक तौर पर नियुक्ति तिथि से पाँच वर्ष तक अथवा उनकी अधिवर्षिता तक या इस संबंध में सरकार द्वारा अगले आदेश प्राप्त होने तक इनमें से सबसे पहले आने वाली अवधि तक नियुक्ति की जाती है. आयु, कार्य-निष्पादन तथा अन्य निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्ति आरंभिक अवधि से अगले पाँच वर्ष के लिए अथवा अधिवर्षिता की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले आए उस तिथि तक सेवाएँ विस्तारित की जा सकती हैं. अंशकालिक सरकारी निदेशक समान्यतः प्रशासनिक मंत्रालय से होते हैं तथा उनका सेवाकाल कंपनी के निदेशक-मण्डल में नियुक्ति से लेकर उस मंत्रालय में बने रहने तक होता है. अंशकालिक गैर-अधिशासी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाती है.

5.4.3 वर्ष 2012-13 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक के विवरण इस प्रकार हैं :



(in ₹ में)

निदेशक का नाम सर्वश्री	बकाया सहित वेतन * (ए)	लाभ * (बी)	भविष्य- निधि, पेंशन तथा ग्रेटयुटी में कंपनी का अंशदान	प्रोत्साहन राशि * (सी)	पट्टा आवास	कुल
एस एन मंथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	14,78,250	4,85,727	2,07,791	4,32,540	4,58,148	30,62,456
एयर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव निदेशक (उत्पादन) वि से मे (नि.)	15,36,507	5,02,873	1,83,445	4,78,667	4,50,000	31,51,492
एसवी सुब्बा राव निदेशक (वित्त)	13,20,975	4,31,495	1,95,847	1,51,554	4,50,000	25,49,871
जी राघवेंद्र राव निदेशक (तकनीकी) 30 नवंबर, 2012 से	5,28,470	1,39,548	53,615	-	-	7,21,633
मेजर जरल रवि खेतरपाल, विसेमे (नि) सी एम डी 30 मार्च, 2012 तक	-	-	-	6,76,483	-	6,76,483
एन विनोद कुमार निदेशक (वित्त) 30 जून, 2011 तक	-	-	-	4,77,005	-	4,77,005

*ए) वर्ष 2012-13 के वेतन में मूल वेतन, महँगाई भत्ता, एच आर ए, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन-वृद्धि शामिल हैं।

*बी) लाभ के अंतर्गत प्रावकाश नगदीकरण और अनुलाभ शामिल हैं।

*सी) प्रोत्साहन राशि में वित्तीय वर्ष 2010-11 तक का पी आर पी शामिल है।

5.4.4 अंशकालिक सरकारी निदेशकों (गैर अधिशासी निदेशक) को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है तथा उन्हें निदेशक मण्डल/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भी किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता।

5.4.5 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) को दि. 29 जुलाई, 2011 से निदेशक मण्डल/समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रु.10,000/- प्रतिभागिता शुल्क का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किये गये शुल्क का विवरण इस प्रकार है (प्रतिभागिता शुल्क रु. में)

नाम	कुल
1 श्री के एल महरोत्रा	1,90,000/-
2 प्रो. आर के मिश्र	1,60,000/-
3 श्री ए के कपूर	1,10,000/-

6. खरीद समिति

6.1 सी एम डी के अधिकारों से परे मंडल द्वारा दि. 29 जुलाई, 2011 को नई परियोजनाओं (आर अण्ड डी

परियोजनाओं सहित) की मंजूरी एवं समीक्षा के लिए समिति गठित की गई। प्रत्येक संदर्भ में अधिकतम रु. 25 करोड़ की मंजूरी दी जा सकती है और सी एम डी के अधिकारों से परे किंतु बोर्ड के अधिकार अनुसार खरीदी प्रस्ताव का भी अनुमोदन दिया जा सकता है।

6.2 31 मार्च, 2013 तक समिति की रचना इस प्रकार है -

- | | | |
|--------------------------------|---|---------|
| 1. एस एन मंथा | - | अध्यक्ष |
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | | |
| 2. श्री के एल मेहरोत्रा | - | सदस्य |
| अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | | |
| 3. प्रो. आर के मिश्र | - | सदस्य |
| अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | | |
| 4. एअर वाईस मार्शल | - | सदस्य |
| पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.) | | |
| निदेशक (उत्पादन) | | |
| 5. श्री एस वी सुब्बा राव | - | सदस्य |
| निदेशक (वित्त) | | |
| 6. श्री जी राघवेंद्र राव | - | सदस्य |
| निदेशक (तकनीकी) | | |

6.3 कंपनी सचिव इस समिति के सदस्य होंगे और निगम वाणिज्य विभाग के प्रधान सहयोग के लिए आमंत्रित किए जाएंगे।

6.4 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दि. 04 मई, 2012; 29 अगस्त, 2012; 10 दिसंबर, 2012 तथा 23 फरवरी, 2014 को समिति की कुल चार बैठकें संपन्न हुईं। इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है -



क्र.सं.	निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
1	श्री एस एन मंथा	4	3
2	श्री के एल मेहरोत्रा	4	4
3	प्रो. आर के मिश्र	4	4
4	एअर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.)	4	4
5	श्री एस वी सुब्बा राव	4	4
6	श्री जी राघवेंद्र राव	2	2

7. मानव संसाधन समिति

7.1 मानव संसाधन से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा तथा उनके अनुमोदन के लिए दि. 29 जुलाई 2011 को मंडल द्वारा यह समिति गठित की गई.

7.2 निदेशक मंडल द्वारा दि. 12 दिसंबर, 2012 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया. 31 मार्च, 2013 तक समिति की रचना इस प्रकार है -

1. एस एन मंथा - अध्यक्ष
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री रविकांत, संयुक्त सचिव - सदस्य
(प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) सरकारी निदेशक
3. श्री के एल मेहरोत्रा - सदस्य
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
4. एअर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.) - सदस्य
निदेशक (उत्पादन)
5. श्री एस वी सुब्बा राव - सदस्य
निदेशक (वित्त)
6. श्री जी राघवेंद्र राव - सदस्य
निदेशक (तकनीकी)

7.3 कंपनी सचिव इस समिति के सदस्य होंगे और कार्मिक एवं प्रशासन विभाग के प्रधान सहयोग के लिए आमंत्रित किए जाएंगे.

7.4 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दि. 04 मई, 2012 को इस समिति की एक बैठक संपन्न हुई. बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है -

क्र.सं.	निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
1	श्री एस एन मंथा	1	1
2	श्री पी के मिश्र (दि. 09 दिसंबर, 2012 तक)	1	1
3	श्री रविकांत (दि. 12 दिसंबर, 2012 से)	-	-
4	श्री के एल मेहरोत्रा	1	1
5	एअर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.)	1	1
6	श्री एस वी सुब्बा राव	1	1
7	श्री जी राघवेंद्र राव (30 नवंबर, 2013 से)	-	-

8. सतत् विकास के लिए समिति

8.1 सी पी एस ई के सतत् विकास के संबंध में डी पी ई दिशा-निर्देशानुसार निरंतर विकास योजना के अनुमोदन तथा कंपनी में सतत् विकास निष्पादन की देखरेख के लिए दि. 25 नवंबर, 2011 को मंडल द्वारा इस समिति का गठन किया गया. एक स्वतंत्र निदेशक इस समिति के अध्यक्ष रहेंगे.

8.2 31 मार्च, 2013 तक समिति की रचना इस प्रकार है -

1. श्री के एल मेहरोत्रा - अध्यक्ष
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
2. श्री एस वी सुब्बा राव - सदस्य
निदेशक (वित्त)
3. एल धनंजय - सदस्य
अधिकासी निदेशक (डी अण्ड ई)
4. डॉ. एन के राजू - सचिव
अधिकासी निदेशक (का. एवं प्रशा.)

8.3 वर्ष के दौरान दि. 14 मई, 2012; दि. 29 अगस्त, 2012 तथा दि. 10 दिसंबर, 2012 को इस समिति की तीन बैठकें संपन्न हुईं जिनमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे.

9. कंपनी की सी एस आर योजना के अनुवीक्षण के लिए समिति

9.1 डी पी ई दिशा-निर्देशानुसार कंपनी के नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत परियोजनाओं के



अनुवीक्षण के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में दि. 25 नवंबर, 2011 को मंडल द्वारा यह समिति गठित की गई.

9.2 31 मार्च, 2013 तक समिति की रचना इस प्रकार है -

1. प्रो. आर के मिश्र - अध्यक्ष
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
(स्वतंत्र निदेशक)
2. श्री एस वी सुब्बा राव - सदस्य
निदेशक (वित्त)
3. डॉ. एन के राजू - सदस्य
अधिशासी निदेशक (का. एवं प्रशा.) सचिव

9.3 वर्ष के दौरान दि. 27 जून, 2012 तथा दि. 10 दिसंबर, 2012 को इस समिति की दो बैठकें संपन्न हुईं जिनमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे.

10. आम सभाएँ

10.1 कंपनी की सभी आम सभाएँ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संपन्न हुईं. विगत तीन वर्षों के दौरान संपन्न ऐसी बैठकों के विवरण इस प्रकार हैं :-

वा.आ.स. की संख्या	वित्तीय वर्ष	बैठक की तिथि	बैठक का समय	बैठक का स्थान
40	2009-10	03 सितंबर, 2010	1430 बजे	पंजीकृत कार्यालय, कचनबाग, हैदराबाद
41	2010-11	19 सितंबर, 2011	1700 बजे	
42	2011-12	24 सितंबर, 2012	1530 बजे	

10.2 विशेष संकल्पों की सूची

10.2.1 पिछली तीन आम सभाओं में किसी भी प्रकार का विशेष संकल्प नहीं लिया गया.

11. प्रकटन

11.1 वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी के निदेशकों के साथ ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया जो कंपनी के हित में न हो. निदेशक मंडल के सदस्य पारिश्रमिक लेने के अतिरिक्त (जहाँ लागू हो) कंपनी के साथ किसी भी प्रकार के आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं रखते जो निदेशक मंडल के निर्णयानुसार फैसला लेने में निदेशकों

की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं.

11.2 सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश से संबद्ध किसी विषय को लेकर किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा विगत तीन वर्ष के दौरान कंपनी पर न कोई जुर्माना लगा और न ही कोई अवक्षेप किया गया.

11.3 व्हिज़िल ब्लोअर मैकानिज़्म

डी पी ई द्वारा जारी सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देश 2010 का अनुपालन किया गया है. कंपनी की व्हिज़िल ब्लोअर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि कोई भी व्यक्ति लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष से मिल सकता है. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति या उसके अध्यक्ष से मिलने से मना नहीं किया गया.

11.4 कंपनी, जोखिम प्रबंधन एवं वर्ग-वार रिपोर्टिंग को छोड़कर डी पी ई द्वारा नैगमिक प्रशासन के संबंध में जारी सी पी एस ई, 2010 के सभी दिशा-निर्देश का अनुपालन कर रही है. कंपनी विभिन्न प्रकार के जोखिम पहचानने तथा अपने कार्य संचालन के विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध जोखिम शमन उपाय सुझाने के लिए एक सर्वोपरि जोखिम प्रबंधन नीति बना रही है. कंपनी कपट प्रतिरोध नीति भी प्रवर्तित कर रही है. कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन हो चुका है. संव्यवहार की प्रकृति एवं उद्घाटित करने में उसकी संवेदशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्ग रिपोर्टिंग से संबद्ध ए एस-17 को छोड़कर अनुप्रयोज्य सभी लेखा-मानदण्डों का पालन किया जा रहा है. तथापि, इसे उद्घाटित न करने पर कंपनी की लेखाओं पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा. "लेखा संबंधित टिप्पणी" में आवश्यक सूचना दी गई है. संप्रति बोर्ड में सदस्यों की संख्या 9 है जो मंजूर की गई संख्या के बराबर है.

11.5 प्राप्त राष्ट्रपति निर्देश का विवरण तथा उनका कार्यान्वयन : राष्ट्रपति निर्देश, डी पी ई / मंत्रालय से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन का कार्यान्वयन किया जा रहा है. कंपनी के बोर्ड स्तर एवं बोर्ड के निम्न स्तर के कार्यापालकों के वेतन संशोधन के संबंध में डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार संशोधित वेतनमान के



कार्यान्वयन के लिए मंजूरी प्रदान करते हुए दि. 27 अप्रैल, 09 का संख्यक एच-62030/1/0227-डी (बी डी एल) राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त हुआ. तदनुसार, राष्ट्रपति निर्देश का अनुपालन करते हुए कंपनी ने वेतन संशोधन कार्यान्वित किया है.

- 11.6 व्यय का कोई भी ऐसा मद लेखा-बही के खर्चों में नहीं दिखाया गया जो संव्यवहार के लिए नहीं रखा गया हो.
- 11.7 निदेशक मण्डल तथा उच्च प्रबंधन के व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए कंपनी ने किसी प्रकार का व्यय नहीं किया.
- 11.8 प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय के विवरण कुल व्यय या वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में दिखाए गए हैं।

क्र.सं.	विवरण	2012-13	2011-12
1	कुल व्यय (सामग्री के अलावा)	499.51	473.94
2	प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	11.62	7.46
3	(1) पर (2) का प्रतिशत	2.33%	1.57%

12. संप्रेषण के माध्यम

अपने शेयरधारकों, निदेशकों तथा अन्य स्टेकधारकों के साथ कंपनी की संप्रेषण प्रणाली में पत्राचार और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट (<http://bdl.ap.nic.in>) के साथ-साथ सभी संप्रेषण चैनलों के माध्यम शामिल हैं. कंपनी वेबसाइट में कंपनी का परिचय, मील के पत्थर, मिशन एवं भविष्य-दृष्टि, उद्देश्य, उपलब्धियाँ, बीडीएल का प्रबंधन, वार्षिक विवरण की सूचना, उत्पाद, निविदाओं के विवरण, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विवरण, कैरियर, ई-खरीदी, निविदाएँ इत्यादि संबंधी बीडीएल की जानकारी उपलब्ध

होती है. कंपनी की कार्य-निष्पादन संबंधी जानकारी हर माह प्रशासनिक मंत्रालय को दी जाती है.

13. कंपनी असफल वित्तीय विवरण सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है.
14. समय-समय पर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का रूपायन किया जा रहा है.
- 15. निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आचरण संहिता**
- 15.1 डी पी ई द्वारा जारी सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश 2010 की सुझाव के अनुसार कंपनी द्वारा अपने निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए संव्यवहार नीति एवं आचरण संहिता अपनायी गयी है.
- 15.2 यह आचरण संहिता कंपनी के वेबसाइट में भी रखी गई है. निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यपालकों ने वर्ष 2012-13 के दौरान आचरण संहिता के अनुपालन का वचन-पत्र दिया.
- 15.3 इस संबंधी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा निम्नवत् है :

16. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा

डी पी ई द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं.18(8)/2005-जीएम, दिनांक 14 मई, 2010 में उल्लिखित सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देशन के अनुसार यह घोषणा की जाती है कि निदेशक-मण्डल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए "भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेश-मण्डल सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए संव्यवहार आचरण एवं नैतिक संहिता के अनुपालन पर बल देते हैं."

कृते भारत डायनामिक्स लिमिटेड



वाई रमेश, एम कॉम, एल एल बी, सी ए आई आई बी, ए सी एस
कार्यरत कंपनी सचिव
मोबाइल : 9849045347



नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र

सेवा में,

सदस्य-गण
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद.

मैंने, सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश 2010 के अनुसार दि. 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है.

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है. मेरा यह परीक्षण उपरोक्त दिशा-निर्देश में उल्लिखित नैगमिक अभिशासन प्रमाण-पत्र की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है. यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा है और न ही विचाराभिव्यक्ति.

मेरी राय में तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूँ कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी "सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश, 2010" के तहत कंपनी ने निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए संव्यवहार नीति आचरण संहिता अपनायी है जिसके तहत यह निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की जिम्मेदारी है कि आचरण संहिता से स्वयं अवगत हों और उसके मानकों का अनुपालन तथा दि. 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचरण संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करे.


मैं आगे प्रमाणित करता हूँ कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी "सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश, 2010" के तहत कंपनी में जोखिम प्रबंधन निर्देश को छोड़कर नैगमिक अभिशासन के बाकी अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है.

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 2 सितंबर 2013

हस्ता./-
(वाई रमेश)
कार्यरत कंपनी सचिव
सी पी संख्या : 7929




बिक्री




वर्ष

प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि




वर्ष

उत्पादन मूल्य




वर्ष

निवल मालियत




वर्ष

मूल्य वर्द्धन



वर्ष

मानव-शक्ति



वर्ष



लेखा-नीति

1. वित्तीय विवरण तैयार करने के मूल आधार

जब तक कि अन्यथा उद्धृत न हो, वित्तीय विवरणिकाएँ प्रोद्भूत आधार तथा परंपरागत लागत पर कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा कार्य-सिद्धान्तों के अनुसार तैयार की जाती है।

2. स्थायी परिसंपत्तियाँ

2.1 कंपनी के लेखाओं में भूमि का पूँजीकरण कंपनी लागत पर किया गया है। भूमि समतल बनाने, साफ कराने तथा ग्रेडिंग जैसे भूमि के विकास का पूँजीकरण, भवनों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई भूमि के अनुपात में भवन लागत पर किया है तथा बाकी विकास-शीर्ष का पूँजीकरण भूमि लागत पर किया है। किसी भवन के निर्माण से संबंध न रखनेवाले लैंडस्केपिंग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हुआ विकास-शीर्ष भूमि लागत माना जाता है।

2.2 बाहरी अभिकरणों की संपूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता/सहायिकी से अर्जित स्थायी परिसंपत्ति कंपनी के खातों में निवल लागत पर लेखांकित की गयी है। सरकार से बिना किसी लागत के हस्तांतरित संपत्ति सांकेतिक मूल्य पर लेखांकित की गयी है।

2.3 संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण, फिक्स्चर्स, कार्यालयीन फर्नीचर तथा उपकरणों की मर्दे जहाँ प्रत्येक मद का मूल्य 5,000/- रुपये या उससे कम है, वहाँ खरीद के वर्ष में संपूर्ण मूल्य-ह्रास किया जाता है। सिविल निर्माण के छोटे कार्यों की लागत जो रु. 50,000/- या उससे कम है, ऐसे कार्य, आन्तरिक विभाजक दीवारें जिनमें हर कार्य पर रु. 50,000/- या उससे कम लागत का हो राजस्व खाते पर प्रभारित किया जाता है। ऐसी विभाजक दीवारों की लागत जो 50,000/- रुपये से अधिक हो उनका मूल्य-ह्रास 5 वर्ष की अवधि या संबद्ध परिसर के पट्टे की अवधि, इनमें से कम वाली अवधि में किया जाता है।

2.4 सामग्री की मर्दे जो अनुपयुक्त होने से उपयोग में नहीं लायी जातीं उनका जब तक निपटान नहीं होता तब तक

लेखाओं में परिशुद्ध लेखा-मूल्य और परिशुद्ध प्रापणीय मूल्य, इनमें से जो कम हो उस स्तर पर लेखांकित रखा जाता है। निपटान के बाद उन्हें लेखाओं से हटा दिया जाता है। संपत्ति विक्रय पर मूल लागत से जो अधिक राशि प्राप्त होती है उसे लाभ-हानि विवरण में जमा किया जाता है।

2.5 मशीनरी तथा उपकरणों की स्थिति के पुनःअनुकूलन, स्थान-पुनर्निर्धारण, पुनरारेखन पर होने वाला व्यय पूँजीकृत नहीं किया गया है।

2.6 संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरणों के साथ प्राप्त अतिरिक्त पुर्जों की लागत पूँजीकृत की जाती है तथा इसका मूल्य-ह्रास संयंत्र और मशीनरी के मूल्य-ह्रास की भांति ही किया जाता है।

3. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

3.1 सामान्य अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय, व्यय के वर्ष में राजस्व को प्रभारित किया जाता है। कंपनी द्वारा वित्तपोषित विकास संबंधी व्यय तथा जिन विशिष्ट परियोजनाओं के उत्पादनों की तकनीकी संभाव्यता प्रमाणित हो चुकी हो और कंपनी जिनका उत्पादन कर विपणन करना चाहती हो, उन पर विकास का व्यय भविष्य के उत्पादों में संविलयन की दृष्टि से पूँजीकृत किया जाता है, यदि कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएँ पहले रोक दी जाती हों/त्यागी जाती हों तो रोके जाने तक/त्यागे जाने तक किये गये व्यय, रोके जाने/त्यागने के वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित कर बट्टे-खाते में डाले जाते हैं।

3.2 कार्मिक प्रशिक्षण पर व्यय, विदेशी तकनीशियनों का शुल्क तथा व्यय आदि परियोजना/उत्पाद विशेष पर उत्पादन-पूर्व व्यय विकासगत व्यय के रूप में प्राक्कलन के आधार से उत्पादन विक्रय पर क्रमिक अपाकरण किया जाता है जो अपाकृत नहीं होता उसे अग्रेषित किया जाता है।

3.3 आंतरिक प्रयोग के लिए तैयार किये गये साफ्टवेयर / बाहरी स्रोत / स्रोतों से प्राप्त किये गए साफ्टवेयर जिनकी कीमत रु.1.00 लाख व उससे अधिक है, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, लेखा-पुस्तकों में



अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है तथा इसका क्रमिक अपाकरण तीन सम भागों में होगा. अपाकरण का आरंभ इसकी प्रयुक्ति के आरंभ से माना जाता है.

4. औज़ार और उपस्कर

विशिष्ट परियोजनाओं/उत्पादों के लिए आवश्यक जिग्स, औज़ारों और फिक्चरों पर होने वाला व्यय आरंभतः तकनीकी मूल्यांकन के आधार से उत्पादन/विक्रय पर क्रमिक अपाकरण के लिए पूँजीकृत किया जाता है और जितना हिस्सा संविलयित नहीं होता, परिसंपत्ति के रूप में अग्रेषित किया जाता है. आंतरिक आधार पर विनिर्मित औज़ार लागत पर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर जो भी कम हो, पूँजीकृत किये जाते हैं. रखरखाव, पुनर्निर्माण, पुनःअनुकूलन, आवधिक निरीक्षण, उपस्कर धारदार बनाना, कटिंग उपस्कर का पुनर्भरण तथा समप्रकृति के कार्य राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किये जाते हैं.

5. परिसंपत्तियों का ह्रास

तुलन-पत्र की तारीख को परिसंपत्तियों की धारित-राशि निर्धारित की जाती है और यदि प्राक्कलित शोध्य राशि, धारित-राशि से कम पायी जाती हो तो ह्रास हानि आकलित कर प्रावधान किया जाता है.

6. निवेश

- 6.1 वित्तीय विवरणों में वर्तमान निवेश निम्नतम लागत पर प्रविष्टित होते हैं तथा निवेश समुचित मूल्य अलग-अलग निवेश के आधार पर निर्धारित किया जाता है.
- 6.2 दीर्घ-अवधि निवेशों को वित्तीय विवरणों में लागत पर प्रविष्टित किया जाता है तथापि, मूल्य निवेश-मूल के स्थायी आधार पर ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है.

7. आस्थगित ऋण

आयात सामग्री उपस्करण संचिका की लागत से संबद्ध आस्थगित निर्बन्धों के अधीन अप्रदत्त भुगतान किश्तें तथा ब्याज और बिक्री किये गये उपकरणों/उत्पादों के आस्थगित राजस्व व्यय ग्राहकों से आस्थगित ऋण के रूप में लेखांकित किये जाते हैं और जब-जब किश्तों की और उस पर ब्याज की अदायगी होती है तो वसूल कर लिया जाता है.

8. सामग्री सूचियाँ

- 8.1 सामग्री-सूची निम्न लागत अथवा निवल प्रापणीय मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है. कच्चा माल, घटक, निर्माणाधीन सामग्री, खुले औज़ार और भण्डार की मदों तथा अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन भार की औसत लागत सूत्र के आधार पर किया जाता है.
- 8.2 मार्गस्त माल और निरीक्षणाधीन माल की वास्तविक लागत ली है.
- 8.3 लेखन-सामग्री, वर्दी, कल्याण संबंधित उपभोज्य सामग्री, चिकित्सा तथा उपाहार-गृह, भण्डार सामग्री इनकी प्राप्ति के समय राजस्व में प्रभारित कर बट्टे में डाली जाती है.
- 8.4 कच्चा माल, घटक, निर्माणाधीन सामग्री, खुले औज़ार और भण्डार की मदें तथा अतिरिक्त पुर्जों का अधिशिष्ट/अनुपयोगी/अनावश्यक घोषित भण्डार राजस्व में प्रभारित किये जाते हैं.
- 8.5 मुख्य भंडार से जारी की गयी तथापि वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त पड़ी सामग्री पुनः भण्डारों में दाखिल नहीं की जाती.
- 8.6 5 वर्ष से अधिक समय से अप्रयुक्त कच्चे माल और घटक, भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जें, निर्माण सामग्री व खुले औज़ार जैसे इतिशेष सामग्री सूची से संबद्ध अनावश्यक सामग्री के अंतर्गत रखने का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त पूर्ण/विशेष परियोजनाओं और निस्तारण के लिए लंबित अतिरिक्त/अनावश्यक सामग्री जैसी सामग्री सूची के संबंध में भी "अनावश्यक सामग्री" के अंतर्गत डालने के यथावश्यक समुचित प्रावधान किये गये हैं.

9. ट्रेड ग्राह्य

सरकारी विभागों से संबद्ध विवादित/कालातीत ऋण-प्राप्यताओं को संदिग्ध ऋण नहीं माना जाता.

10. आपूर्तिकर्ताओं/बीमाकर्ताओं/संवाहकों/अन्यों पर दावे

आपूर्तिकर्ताओं/ग्राहक/बीमाकर्ताओं/संवाहकों/अन्यों पर हानि/क्षति के दावे तब लेखांकित किये जाते हैं जब दावों का प्रवर्तन होता है. सरकारी विभागों से विवादित / कालातीत दावे संदिग्ध दावे नहीं माने जाते हैं.

11. विदेशी मुद्रा का अंतरण

सोवियत रूस (तत्कालीन) द्वारा की गयी आपूर्तियों से प्राप्त सेवाओं से संबंधित आस्थगित भुगतानों की और



उन पर देय ब्याज की देयता, भारत सरकार तथा रूस की सरकार के बीच विदेशीकरण व्यवस्था के अंतर्गत आस्थगित भुगतान तथा तदुपरी ब्याज के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर आधारित है। अन्य मुद्राओं की स्थिति में, देयता तुलन-पत्र की प्रदत्त तारीख के प्रभावी विनिमय दर के आधार पर होती है। विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाला अंतर राजस्व में प्रभारित किया जाता है। पूँजीगत मदों के संबंध में समायोजन संपत्ति की लागत पर किया जाता है।

12. वर्तमान तथा आस्थगित कर के प्रावधान

वर्तमान कर का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य लाभ पर विचार करने के बाद किया जाता है। लेखित आय और कर देय के बीच "समयान्तर" के परिणामस्वरूप होने वाले आस्थगित कर को अधिनियमित या तुलन-पत्र की तिथि से मूलभूत रूप से अधिनियमित कर दरों तथा कानून के प्रयोग लेखांकित करने के लिए किया जाता है। आस्थगित कर संपत्ति उतनी ही आँकी और अग्रेषित की जाती है जितनी कि भविष्य में इससे वसूली की वास्तविक निश्चितता दिखाई देती है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

भूतकालीन कार्यों से वर्तमान दायित्व के लिए एक प्रावधान किया गया है और इस दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी जिसके लिए एक विश्वसनीय प्राक्कलन बनाया जा सकता है। प्रावधान वर्तमान मूल्य आधारित नहीं होकर तुलन-पत्र की प्रवृत्त तिथि पर दायित्व निपटान के लिए आवश्यक सर्वोत्तम प्राक्कलन पर आधारित हैं तथा इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र प्रवृत्त तिथि पर समीक्षा कर वर्तमान सर्वोत्तम प्राक्कलन में दर्शाये जाते हैं। आकस्मिक देयताएँ वित्तीय विवरणिकाओं में नहीं लेकर टिप्पणियों में प्रकट की जाती हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियाँ, वित्तीय विवरणिकाओं में न ली जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं।

14. वारंटी

करार के अनुबंध एवं शर्तों के अनुसार जहाँ कहीं भी लागू हो, बेचे गये उत्पादों पर वारंटी का प्रावधान किया गया है। वारंटी की शर्तें वर्तमान अवधि एवं अनुबंधों के आधार अनुसार यथावत रहेंगी।

15. बिक्री

- 15.1 जिन उत्पादों के संबंध में पूर्व-परीक्षण जरूरी होता है वहाँ परीक्षण के बाद स्वीकृत मात्रा के आधार पर बिक्री लेखांकित होती है।
- 15.2 अन्य सभी उत्पादनों के संबंध में स्वीकृति/प्रत्यक्ष प्रेषण के आधार पर बिक्री लेखांकित होती है।
- 15.3 जहाँ बिक्री-मूल्य निर्धारित नहीं हुआ वहाँ संभाव्य प्रापणीय मूल्य के आधार पर अंतिम बिक्री मूल्य निश्चित किया जाता है।
- 15.4 बिक्री-मूल्य में बिक्री-कर/वैट अपवर्जित होता है लेकिन उत्पाद शुल्क तथा सेवा-कर सम्मिलित होते हैं।

16. कर्मचारियों के लाभ

अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

- 16.1 अल्पकालीन कर्मचारी लाभ जैसे वेतन पारिश्रमिक (वेज) तथा अल्पकालीन अनुपस्थिति प्रतिपूर्तियाँ सेवाकालीन वर्ष के लाभ-हानि लेखों में बिना किसी रियायती दरों के शामिल की गई हैं।

निर्धारित योगदान योजनाएँ

- 16.2 कंपनी द्वारा दिये गये / देय कंपनी अनुमोदित सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (REMI), कर्मचारी हितकारी निधि योजना (EBF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI), भविष्य निधि अधिनियम तथा पेंशन योजना के अंतर्गत देय भविष्य निधि योगदान राजस्व में प्रभारित किये जाते हैं।

निर्धारित लाभ योजनाएँ

- 16.3 कंपनी की उपदान, छुट्टी वेतन योजनाएँ निर्धारित लाभ योजनाएँ हैं। उपदान संबंधी वर्तमान दायित्व का मूल्यांकन बीमांकित मूल्यांकन दर्शायी इकाई जमा पद्धति के प्रयोग के आधार पर किया जाता है, जिसमें सेवा की



प्रत्येक अवधि पर एक अतिरिक्त इकाई कर्मचारी की लाभ अर्हता में जुड़ती है तथा प्रत्येक प्राक्कलित भविष्य नकदी की गणना करती है. बीमांकित लाभ-हानियाँ लाभ-हानि लेखों में शामिल किये गये हैं.

- 16.4 छुट्टी वेतन के वर्तमान दायित्व का प्रावधान बीमांकित आधारित है. बीमांकित लाभ-हानियाँ, लाभ-हानि लेखों में शामिल की गयी हैं.
- 16.5 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर जाने वाले कर्मचारियों को देय प्रतिपूर्ति का सेवा-निवृत्ति के वर्ष के लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

17. मूल्य-ह्रास

स्थायी परिसंपत्ति पर मूल्य-ह्रास सीधी लाइन-पद्धति से प्रभारित किया जाता है. मूल्य-ह्रास की दरें संबद्ध परिसंपत्ति की लागत उसके अनुमानित कार्यकाल (आयु)

पर परिव्याप्त कर निकाली जाती हैं तथापि टाउनशिप की इमारतों के मूल्य-ह्रास की दरें लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार स्वीकृत की गयी हैं. मूल्य-ह्रास का परिगणन 01.04.1991 से होता है जिसमें संबद्ध परिसंपत्ति की सभी अभिवृद्धियाँ जो प्रयुक्त/प्रभार की तारीख से ली जाती है. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित मूल्य-ह्रास की दरें लागू नहीं हैं, ये दरें उपर्युक्त अनुसूचियों में निर्धारित दरों से कम नहीं है.

18. लागत का न्यून अवशोषण/अत्यावशोषण

यदि एक वर्ष में निर्माण कार्यों पर लेबर और ओवर हेड लागत में अवप्रतिलब्धि/अधिप्रतिलब्धि की मात्रा उस वर्ष के निवल परिचालन व्यय से 0.5% से अधिक नहीं होती तो इन कार्यों पर इस लागत का न्यून अवशोषण / अत्यावशोषण का समायोजन नहीं किया जाता.

संलग्न 1 से 28 तक की अनुसूचियाँ तथा लेखा-नीतियाँ इन लेखाओं के अंगभूत अंश हैं.
इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप.

कृते डी वी रमण राव अण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

पंजीकरण संख्या : 002918S

निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

पी नागेश (सदस्यता सं. 203162)

भागीदार

एसवी सुब्बाराव

निदेशक (वित्त)

एस एन मंथा

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 02 अगस्त 2013

स्थान : हैदराबाद


दिनांक : 02 अगस्त 2013

एम लक्ष्मी नारायण

कंपनी सचिव



वार्षिक लेखा 2012-13





31 मार्च 2013 का तुलन-पत्र

(₹ लाख)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2013 तक की स्थिति		31 मार्च 2012 तक की स्थिति	
ईक्विटी एवं देयताएँ					
शेयरधारकों की निधियाँ					
(ए) शेयर पूँजी	1	11500.00		11500.00	
(बी) आरक्षित एवं अधिशिष्ट निधि	2	83829.86	95329.86	61738.30	73238.30
गैर चालू देयताएँ					
(ए) दीर्घावधि देयताएँ	3	4694.28		4889.88	
(बी) दीर्घावधि प्रावधान	4	6273.34	10967.62	4966.51	9856.39
चालू देयताएँ					
(ए) देय ट्रेड	5	31944.23		16285.73	
(बी) अन्य चालू देयताएँ	6	572405.31		522295.59	
(बी) अल्पावधि प्रावधान	7	16468.95		20041.03	
			620818.49		558622.35
कुल			727115.97		641717.04
परिसंपत्तियाँ					
गैर चालू परिसंपत्तियाँ					
(ए) स्थायी परिसंपत्तियाँ					
(i) मूर्त परिसंपत्तियाँ	8	26733.09		19495.16	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8	1067.38		1672.10	
(iii) निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	9	6326.42		3924.98	
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	9	626.16		622.16	
(बी) गैर-चालू निवेश	10	53.60		53.60	
(सी) आस्थागित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	11	4129.21		5444.73	
(डी) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12	1338.76		1230.42	
(ई) अन्य गैर चालू-परिसंपत्तियाँ	13	4564.59		4754.79	
			44839.21		37197.94
चालू परिसंपत्तियाँ					
(ए) सामग्री-सूची	14	100653.35		60257.12	
(बी) प्राप्त ट्रेड	15	28154.73		8839.19	
(सी) नकद एवं नकद तुल्य	16	396225.56		429507.98	
(डी) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	17	144684.46		95013.06	
(ई) अन्य गैर चालू-परिसंपत्तियाँ	18	12558.66		10901.75	
			682276.76		604519.10
कुल			727115.97		641717.04

लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं।
इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप.

कृते डी वी रमण राव अण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
फर्म की पंजीकरण सं.002918S

पी नागेश (संदस्यता सं.203162)

भागीदार

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 02 अगस्त 2013

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एसवी सुब्बा राव

निदेशक (वित्त)

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 02 अगस्त 2013

एस एन मंथा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एम लक्ष्मीनारायण

कंपनी सचिव

**31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा**

(₹ लाख)

विवरण	टिप्पणी सं.	चालू वर्ष	विगत वर्ष
I परिचालन से प्राप्त राजस्व :	19	107471.01	95,912.17
घटाव : सीमा शुल्क		(43.65)	74.69
सेवा कर		313.39	267.3
परिचालन से प्राप्त निवल राजस्व		107201.27	95570.14
II अन्य आय	20	52262.19	46271.77 II
III कुल राजस्व		159463.46	141841.91
IV व्यय :			
खपत सामग्री की लागत	21	77957.20	63353.03
प्रत्यक्ष व्यय		90.69	65.17
तैयार माल की सामग्री सूची में परिवर्तन			
निर्माणाधीन कार्य, कार्यगत भंडार	22	(10080.86)	(3381.98)
कर्मचारी लाभकारी व्यय	23	25898.50	24032.12
वित्त लागत		36.11	19.92
मूल्य ह्रास एवं क्रमिक अपाकरण व्यय	8	4119.79	5024.65
अन्य आय	24	16970.65	10686.16
प्रावधान	25	3476.07	8441.65
कुल व्यय (सकल)		118468.15	108240.72
घटाव : पूँजीगत लेखा से संबंधित व्यय	26	911.03	1218.03
कुल व्यय (निवल)		117557.12	107022.69
V कर पूर्व लाभ (III-IV)		41906.34	34819.22
VI कर व्यय			
चालू कर - पूर्व वर्ष		(90.46)	32.02
चालू वर्ष		11840.98	13887.96
आस्थगित कर		1315.52	(2596.64)
कुल कर व्यय		13066.04	11323.34
VII अवधि के लिए लाभ (हानि) (V-VI)		28840.30	23495.88
VIII अंकित मूल्य रु.1000/- प्रति ईक्विटी शेयर पर अर्जन :			
मूल तथा विलयित	27	2507.85	2043.12

लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं।
इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप.

कृते डी वी रमण राव अण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
फर्म की पंजीकरण सं.002918S

पी नागेश (संदस्यता सं.203162)

भागीदार

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 02 अगस्त 2013

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एसवी सुब्बा राव

निदेशक (वित्त)

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 02 अगस्त 2013

एस एन मंथा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एम लक्ष्मीनारायण

कंपनी सचिव



31 मार्च 2013 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2013 तक की स्थिति		31 मार्च 2012 तक की स्थिति	
1	शेयर पूँजी प्राधिकृत ₹1,000/- प्रति शेयर मूल्य के 12,50,000 शेयर के लिए जारी किए गए, अंशदत्त एवं अभिदत्त प्रति शेयर 1,000 रुपये मूल्य के 11,50,000 ईक्विटी शेयर पूर्णतः प्रदत्त		12500.00		12500.00
			11500.00		11500.00
			11500.00		11500.00
		5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों का विवरण		100% शेयर भारत सरकार द्वारा लिये जाते हैं.	100% शेयर भारत सरकार द्वारा लिये जाते हैं
2	प्रारक्षित एवं अधिशेष निधि प्रारक्षित पूँजी विगत तुलन-पत्र के अनुसार जोड़ : वर्ष के दौरान वृद्धि तुलन-पत्र की तिथि पर इतिशेष सामान्य प्रारक्षित विगत तुलन-पत्र के अनुसार जोड़ : लाभ-हानि विवरण से हस्तांतरण तुलन-पत्र की तिथि पर इतिशेष अधिशेष विगत तुलन-पत्र के अनुसार जोड़ : लाभ-हानि विवरण से हस्तांतरण घटाव : विनियोजन प्रस्तावित लाभांश प्रस्तावित लाभांश पर कर प्रारक्षित पूँजी को हस्तांतरण सामान्य प्रारक्षित को हस्तांतरण तुलन-पत्र की तिथि पर इतिशेष	19.56		19.53	
		2.04		0.03	
			21.60		19.56
		61641.66		43641.66	
		22100.00		18000.00	
			83741.66		61641.66
		77.08		43.75	
		28840.30		23495.88	
		28917.38		23539.63	
		5768.40		4700.05	
980.34		762.47			
2.04		0.03			
22100.00		18000.00			
	66.60		77.08		
	83829.86		61738.30		
2.1	प्रारक्षित पूँजी में वर्ष के दौरान अंकित मूल्य (₹ में) पर ग्राहकों द्वारा मुफ्त में हस्तांतरित परसिंपत्तियों का मूल्य शामिल है.		71		1
3	दीर्घावधि देयताएँ देय ट्रेड - 45 वर्ष के घटकों के लिए आस्थगित ऋण		4694.28		4889.88
			4694.28		4889.88
4	दीर्घावधि प्रावधान कर्मचारी हित के लिए प्रावधान सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ प्रोद्भूत अवकाश		937.05		414.76
			5336.29		4551.75
			6273.34		4966.51



31 मार्च 2013 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2013 तक की स्थिति		31 मार्च 2012 तक की स्थिति	
5	व्यापारिक देयताएँ				
	अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम		669.40		210.14
	आस्थगित देयताओं की चालू अवधि समाप्ति		262.78		262.78
	अन्य व्यापारिक देयताएँ		31012.05		15812.81
			31944.23		16285.73
5.1	बहुत छोटी, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम के अंतर्गत जानकारी				
(i)	वर्ष की समाप्ति पर पूर्तिकर्ता के लिए बाकी मूल धन एवं ब्याज अप्रदत्त		669.40		210.14
(ii)	लेखा वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद पूर्तिकर्ता के लिए भुगतान की गई राशि सहित ब्याज राशि		-		-
(iii)	भुगतान में की गई विलंब की अवधि के लिए देय एवं बकाया ब्याज राशि (अधिनियम में निर्धारित ब्याज के बिना नियत तिथि के बाद किया गया भुगतान)		2.41		2.35
6	अन्य चालू देयताएँ				
	भारत सरकार से अग्रिम		489906.08		441754.27
	अन्य अग्रिम		63399.82		65511.14
	जमा राशियाँ		1051.25		699.02
	अन्य देयताएँ		18048.16		14331.16
			572405.31		522295.59
7	अल्पावधि प्रावधान				
	कर्मचारी के लिए लाभकारी प्रावधान				
	उपचित अवकाश के लिए प्रावधान		316.41		302.89
	अन्य प्रावधान				
	वारंटी		2494.89		1616.15
	परिसमापन क्षतियाँ		6430.94		12519.43
	प्रास्तावित लाभांश		5768.40		4700.05
	प्रस्तावित लाभांश पर कर		980.34		762.47
	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व		477.97		140.04
			16468.95		20041.03



31 मार्च 2013 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

8. स्थायी परिसंपत्तियाँ

विवरण	सकल निरुद्ध						मूल्यांकन / क्रमिक अपाकरण				निवल मालियत	
	वर्ष के आरंभ में लागत स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़ एवं समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर कुल लागत स्थिति	वर्ष के आरंभ में संवित मूल्यांकन / क्रमिक अपाकरण	वर्ष के लिए मूल्यांकन / क्रमिक अपाकरण 5	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर संवित मूल्यांकन / क्रमिक अपाकरण	31 मार्च 2013 की स्थिति	31 मार्च 2012 की स्थिति		
मूर्त परिसंपत्तियाँ												
भूमि @ - पूर्ण स्वामित्व पर - पट्टे पर	3167.08	1136.13	-0.07	4303.14					4303.14	3167.08		
इमारतें *	3776.60	145.87	0.00	3922.47	4215.11	249.97	0.00	4465.08	3922.47	3776.60		
तार घेरा तथा चार दीवारी	8663.49	190.20	0.00	8853.69					4388.61	4448.38		
सड़कें तथा नालियाँ	591.97	330.22	0.00	922.19	331.54	33.01	0.00	364.55	557.64	260.43		
जल आपूर्ति व्यवस्था	748.11	205.82	0.00	953.93	454.20	33.94	0.00	488.14	465.79	293.91		
संस्थापनाएं	603.24	40.87	0.00	644.11	560.48	11.94	0.00	572.42	71.69	42.76		
संयंत्र, मशीनरी तथा उपस्कर #	22373.81	3796.78	-2846.92	23323.67	16644.81	1157.15	-1759.85	16042.11	7281.56	5729.00		
फर्नीचर तथा उपकरण	1388.98	239.97	2552.48	4181.43	1009.92	264.70	1759.71	3034.33	1147.10	379.06		
परिवहन वाहन	470.29	56.15	-21.88	504.56	275.59	42.95	-21.88	296.66	207.90	194.70		
विशेष औजार एवं उपकरण	10813.50	4284.88	-0.16	15098.22	9610.27	532.64	568.12	10711.03	4387.19	1203.23		
कुल	52597.07	10426.89	-316.55	62707.41	33101.92	2326.30	546.10	35974.32	26733.09	19495.15		
विगत वर्ष	41851.13	11211.47	-465.53	52597.07	31881.92	1682.95	-462.96	33101.91	19495.16	9969.21		
अमूर्त परिसंपत्तियाँ												
विकास व्यय	7641.92	549.26	0.00	8191.18	6053.85	1722.44	-568.12	7208.17	983.01	1588.07		
कंप्यूटर साफ्टवेयर	185.20	71.39	0.00	256.59	101.17	71.05	0.00	172.22	84.37	84.03		
कुल	7827.12	620.65	0.00	8447.77	6155.02	1793.49	-568.12	7380.39	1067.38	1672.10		
विगत वर्ष	6957.17	869.95	0.00	7827.12	2813.32	3341.70	0.00	6155.02	1672.10	4143.86		
कुल योग	60424.19	11047.54	-316.55	71155.18	39256.94	4119.79	-22.02	43354.71	27800.47	21167.25		
विगत वर्ष	48808.30	12081.42	-465.53	60424.19	34695.24	5024.65	-462.96	39256.93	21167.26	14113.07		

@ (i) भारत सरकार के संगठन को 5 एकड़ 01 गुण्टा भूमि लीज पर दी गई है और इस पर उनका स्वामित्व है. इसी तरह 2 एकड़ 8 गुण्टा की जमीन भारत सरकार के संगठन को अनुमति आधार पर दी गई और इस पर उनका स्वामित्व है. (ii) 244 एकड़ 37 गुण्टा की भूमि (विगत वर्ष 356 एकड़ 24 गुण्टा) राज्य सरकार से मुफ्त में प्राप्त 151 एकड़ 33 गुण्टा की भूमि भी इसमें शामिल है. यह भूमि 397.79 लाख (विगत वर्ष 443.41 लाख) में पूंजीगत की गई और यह राशि कंपनी द्वारा भुगतान की जा चुकी है. (iii) इन्वॉइसपट्टणम में 632 एकड़ 18 गुण्टा की भूमि का राशि भुगतान की गई. स्वामित्व लिये जा चुके 590-22.50 गुण्टा की जमीन के लिए अंतरण ट्रांसफर रसीद प्राप्त करना शेष है. अनुपातीय मूल्य रु.3602.43 लाख की राशि पूंजीगत की गई.

5 (i) लीज करार कर भूमि पर स्वामित्व प्राप्त करने के बाद एम आई डी सी से अमरावती में लीज पर प्राप्त 553.85 एकड़ की जमीन के लिए रु.3922.47 लाख की राशि पूंजीगत की गई. लीज करार के कार्यान्वयन के पोंडिंग कार्यान्वयन के लिए किसी प्रकार का अपाकरण नहीं किया गया.

* जिस पर कंपनी की मालिक्यत नहीं है, ऐसी भूमि पर निर्मित इमारतों का मूल्य रु.111.01 (विगत वर्ष 111.01 लाख) सम्मिलित है.

रु.95.93 लाख (विगत वर्ष 70.18 लाख) सकल मूल्य की उपयोग में अनुपयुक्त सामग्री में सम्मिलित

सरकार द्वारा मुफ्त में हस्तांतरित परिसंपत्तियाँ वर्तमान वर्ष के लिए रु.7.1 के अंकित मूल्य (विगत वर्ष रु.1) से ली गई.

बी डी एन ने नेवी (आई एन एस - डेगा) के साथ विशाखापट्टणम में रु.3.63 की एकड़ लीज पर लिया.



31 मार्च 2013 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2013 तक की स्थिति	31 मार्च 2012 तक की स्थिति
8.1	चूँकि कंपनी द्वारा अपनायी जाने वाली दरें अधिक हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा XIV निर्धारित मूल्य ह्रास की दरें अपनायी नहीं जा रही हैं. धारा XIV की दरों के अलावा अपनायी जाने वाली दरों का प्रतिशत इस प्रकार है - (ए) इमारतें : 3.50/8.00/2.00/4.00/13.00 (बी) संयंत्र एवं मशीनरी : 13.00/15.00/17.00 (सी) फर्नीचर, फिक्चर्स एवं अन्य उपकरण : 6.50/13.00/15.00		
9	निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य एवं विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ निर्माणाधीन कार्यगत पूँजी विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6326.42 626.16 6952.58	3924.98 622.16 4547.14
9.1	पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य शीर्ष के अंतर्गत 40.09 लाख रुपये (पिछले वर्ष 40.09 लाख रुपये) मूल्य की इमारतें सम्मिलित हैं जिनका निर्माण आस्थगित रखा गया है. विवादित जमीन संबंधी मामलों के लिए उप जिलाधीश तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद इस उत्पन्न विवाद के वास्तविक तथ्य को जानने के लिए सहायक निदेशक, सर्वेक्षण, निपटान तथा लैंड रिकॉर्ड्स से रिपोर्ट प्राप्त के बाद कंपनी द्वारा लेखा पुस्तिकाओं में आवश्यक समायोजन किया जाएगा.		
10	लागत पर गैर-चालू निवेश (गैर-व्यापारिक / असूचित दर) 9,21,920 (3,85,920 बोनस शेयर सहित) पूर्णतः भुगतान किया गया आंध्र प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड के ₹10/- प्रति शेयर के ईक्विटी शेयर	53.60 53.60	53.60 53.60
11	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल) आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं का विवरण (लेखा मानक 22 के अनुसार) इस प्रकार है : आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
ए)	प्रावधान	3887.19	5267.83
बी)	धारा 43 बी अस्वीकरण	1493.91	1274.01
सी)	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति क्रमिक अपाकरण	22.55	62.85
		5403.65	6604.69
ए)	आस्थगित कर देयताएँ मूल्यह्रास तथा संबंधित मदें	0.00	0.00
बी)	विकास व्यय	1274.44	1159.96
		1274.44	1159.96
	निवल आस्थगित कर संपत्तियाँ / (देयताएँ)	4129.21	5444.73
12	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम ए) प्रतिभूत - शोध ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी बी) अप्रतिभूत, शोध पूँजीगत अग्रिम ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	304.44 915.81 118.51 1338.76	214.97 924.98 90.47 1230.42



31 मार्च 2013 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2013 तक की स्थिति		31 मार्च 2012 तक की स्थिति	
13	अन्य गैर-चालू परसिपत्तियाँ अप्रतिभूत, शोध्य आस्थगित ऋण		4564.59		4754.79
			4564.59		4754.79
14	सामग्री-सूची * (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अनुसार) कच्चा माल तथा घटक घटाव : निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान कच्चे माल तथा घटकों के लिए मार्गस्थ माल	54151.81		35193.30	
		655.26		545.63	
		14550.58		2951.22	
			68047.13		37598.89
	निर्माणाधीन कार्य घटाव : निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	31275.72		21244.00	
		84.21		53.66	
			31191.51		21190.34
	तैयार माल घटाव : निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	202.43		153.29	
		16.23		15.09	
			186.20		138.20
	भण्डारण तथा अतिरिक्त पुर्जे घटाव : निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान मार्गस्थ माल का भण्डारण तथा अतिरिक्त पुर्जे	686.93		801.84	
		162.03		152.41	
		13.27		16.00	
			538.17		665.43
	शिथिल औजार घटाव : निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान शिथिल औजार का मार्गस्थ माल	751.42		805.11	
		137.26		193.97	
		30.62		8.21	
			644.78		619.35
	अन्य निर्माण सामग्री घटाव : निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान मार्गस्थ माल निर्माण सामग्री	20.69		21.95	
		1.26		1.26	
		3.26		-	
			22.69		20.69
	भण्डारण तथा उपकरण - कल्याण घटाव : क्रमिक अपाकरण	226.93		204.56	
		223.90		199.14	
			3.03		5.42
	विविध भण्डार		19.84		18.80
			100653.35		60257.12
15	* उप-ठेकेदारों तथा अन्यो के लिए जारी सामग्री भी सम्मिलित ट्रेड प्राप्तियाँ अप्रतिभूत - शोध्य छह महीने से अधिक के लिए बकाया ऋण		9183.85		3523.39
	अन्य ऋण ग्राहक आस्थगित ऋणों की चालू अवधि समाप्ति		5140.87		1980.51
			22958.21		6603.1
			55.65		255.52
			28154.73		8839.19
15.1	एक ही ग्राहक से मौजूदा अग्रिम के प्रति ट्रेड प्राप्य का समायोजन कर देने की परंपरा अब से बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर दी गई है जिससे दि. 31 मार्च, 2013 तक ग्राहकों से प्राप्य तथा अग्रिम रु. 181.26 करोड़ (वृद्धि) है.				



31 मार्च 2013 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2013 तक की स्थिति		31 मार्च 2012 तक की स्थिति	
16	नकद तथा नकद तुल्य				
	बैंकों में इतिशेष :				
	चालू खाते से संबद्ध	4025.52		2200.46	
	अल्पावधि निक्षेपों से संबद्ध	392198.40		427300.90	
			396223.92		429501.36
	नकद राशि		0.84		5.77
17	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम				
	ए) प्रतिभूत - शोध्य माल				
	संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम		-		-
	माल एवं सेवाएँ		18947.83		11785.08
	बी) अप्रतिभूत - शोध्य माल				
	संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम		-		-
माल एवं सेवाएँ	120409.74		79460.26		
घटाव : संदिग्ध दावे के लिए प्रावधान	0.41		0.41		
		120409.33		79459.85	
कर्मचारी		53.59		66.90	
प्राप्त दावे	1891.41		2151.00		
घटाव : संदिग्ध दावे के लिए प्रावधान	21.47		61.77		
		1869.94		2089.23	
पूर्वप्रदत्त व्यय		55.86		53.15	
निक्षेप		338.46		202.49	
अग्रिम आय कर (निवल)		1445.77		156.81	
अग्रिम सेवा कर		1563.35		1199.55	
प्राप्य सेवा कर		0.33		-	
		144684.46		95013.06	
18	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ				
	उपचित ब्याज लेकिन बकाया नहीं				
	- अल्पावधि निक्षेप		12529.30		10848.16
	- अन्य		29.36		53.59
		12558.66		10901.75	



31 मार्च 2013 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2013 तक की स्थिति		31 मार्च 2012 तक की स्थिति	
19	परिचालन से प्राप्त राजस्व उत्पादों की बिक्री				
	तैयार माल	100033.20		86626.92	
	अतिरिक्त पुर्जे	2781.98		3751.81	
	विविध	1902.61		2106.84	
			104717.79		92485.57
	सेवाओं की बिक्री				
	मरम्मत एवं ओवरऑल	451.15		918.06	
	प्रशिक्षण	-		10.80	
	जॉब वर्क	1926.65		2497.74	
			2377.80		3426.60
	अन्य परिचालन राजस्व				
	रद्दी की बिक्री		16.98		-
	अन्य		499.20		-
	पूर्वावधि मर्दे		(140.76)		-
	परिचालन से सकल राजस्व		107471.01		95912.17
20	अन्य आय				
	ब्याज :				
	अल्पावधि निक्षेप		41654.35		40281.93
	विविध अग्रिम - कर्मचारी तथा अन्य		48.16		60.86
	अन्य निक्षेपों पर		55.54		6.53
	परिवहन - कर्मचारी		15.95		15.68
	अतिरिक्त माल / अवशिष्ट भण्डार का निपटान		0.07		31.42
	टॉउनशिप		141.93		140.24
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)		10.17		47.48
	दीर्घावधि तक आवश्यक नहीं, ऐसे प्रावधान देयताओं की वापसी		0.00		0.00
	परिसमापन क्षतियों का प्रावधान	6246.59		1,989.09	
	वारंटी प्रावधान	821.57		869.33	
	निष्प्रयोजनता के लिए प्रावधान	531.22		428.69	
	सी एस आर प्रावधान	131.99		-	
	अन्य	40.30		0.88	
			7771.67		3287.99
	देयताओं की वापसी		139.16		65.96
	आपूर्तिकर्ताओं से परिसमापन क्षतियों की वसूली		1908.79		2181.69
	विदेशी मुद्रा लेन-देन पर निवल लाभ		293.97		60.11
	विविध		222.43		91.88
			52262.19		46271.77
21	उपभुक्त सामग्री की लागत				
	भण्डार का अथशेष		36822.21		30913.08
	जोड़ : क्रय		115069.78		74618.22
			151891.99		105531.30
	घटाव : भण्डार का इतिशेष		55610.85		36822.21
			96281.14		68709.09
	घटाव : भण्डार की प्रयुक्ति				
	आस्थगित राजस्व व्यय		24.68		63.57
	उपकरण एवं जिम्स		3.58		14.94
	पूँजीगत कार्य		-		1.36
	व्यय लेखा एवं अन्य परिसंपत्तियाँ		18295.68		5276.19
			18323.94		5356.06
			77957.20		63353.03
22	तैयार माल तथा निर्माणाधीन कार्य की				
	सामग्री सूची में परिवर्तन				
	(वृद्धि)/अपवृद्धि				
	अथशेष				
	(i) निर्माणाधीन कार्य		21244.00		17864.70
	(ii) तैयार माल		153.29		150.61
			21397.29		18015.31
	इति शेष				
	(i) निर्माणाधीन कार्य		31275.72		21244.00
	(ii) तैयार माल		202.43		153.29
			31478.15		21397.29
	(वृद्धि)/अपवृद्धि		(10080.86)		(3381.98)



31 मार्च 2013 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चाल वर्ष		विगत वर्ष	
23	कर्मचारी लाभकारी खर्च वेतन तथा मजदूरी वेतन तथा मजदूरी भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान कर्मचारी कल्याण खर्च				
		22656.77		20867.72	
		2162.64		2200.95	
		1079.09		963.45	
		25898.50		24032.12	
23.1	पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक	135.02		97.38	
23.2	उपदान के संबंध में संशोधित लेखों के मानक 15 के प्रावधान के अनुसार सूचना निम्नप्रकार है :	31 मार्च 2013		31 मार्च 2012	
1	धारणाएँ				
ए)	रियायती दर (प्रति वर्ष)	8.00%		8.00%	
बी)	वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	6.00%		6.00%	
2	दायित्व के वर्तमान दर में परिवर्तन दर्शाती तालिका				
ए)	वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान दर	8807.24		8004.54	
बी)	ब्याज लागत	704.58		640.36	
सी)	वर्तमान सेवा लागत	267.72		294.36	
डी)	वास्तविक प्रदत्त - लाभ	621.73		687.42	
ई)	वर्ष के अंत तक संभावित देयताएँ	9157.81		8251.84	
एफ)	वर्ष के अंत तक दायित्व का वर्तमान दर	9507.50		8807.24	
जी)	वास्तविक लाभ / (हानि)	(349.69)		(555.40)	
3	योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन				
ए)	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	8714.34		7002.92	
बी)	योजित परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	789.88		748.49	
सी)	अंशदान	625.00		1650.35	
डी)	प्रदत्त लाभांश	621.73		687.42	
ई)	योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ / (हानि)	-		0.00	
एफ)	वर्ष के अंत तक योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9507.49		8714.34	
4	योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य की तालिका				
ए)	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	8714.34		7002.92	
बी)	योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति	789.88		748.49	
सी)	अंशदान	625.00		1650.35	
डी)	प्रदत्त लाभांश	621.73		687.42	
ई)	वर्ष के अंत तक योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9507.49		8714.34	
एफ)	आबंटित निधि की स्थिति	(0.01)		(92.90)	
जी)	योजित परिसंपत्तियों की अनुमानित प्राप्तियों पर वास्तविक आधिक्यता	-		-	
5	वास्तविक हानि या प्राप्ति				
ए)	वर्ष के लिए दायित्व - वास्तविक हानि	(349.69)		(555.40)	
बी)	वर्ष के लिए योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक हानि	-		0.00	
सी)	वर्ष के लिए कुल हानि	(349.69)		(555.40)	
डी)	सूचित वास्तविक हानि	(349.69)		(555.40)	
6	तुलन-पत्र में सूचित राशि				
ए)	वर्ष के अंत तक दायित्व का वर्तमान मूल्य	9507.50		8807.24	
बी)	वर्ष के अंत तक योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9507.49		8714.34	
सी)	आबंटित निधि की स्थिति	(0.01)		(92.90)	
डी)	तुलन-पत्र में सूचित निवल देयता / परिसंपत्ति	(0.01)		(92.90)	
7	आकलित खर्च लाभ-हानि खाते का विवरण				
ए)	वर्तमान सेवा लागत	267.72		294.36	
बी)	ब्याज लागत	704.58		640.36	
सी)	योजित परिसंपत्तियों पर संभावित प्राप्ति	789.88		748.49	
डी)	वर्ष के दौरान आकलित निवल वास्तविक लाभ / (हानि)	(349.69)		(555.40)	
ई)	लाभ-हानि खाते में आकलित व्यय	532.11		741.63	



31 मार्च 2013 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चाल वर्ष	विगत वर्ष
23.3	क्षतिपूरक अनुपस्थितियाँ कंपनी के कर्मचारियों की संचित अनुपस्थितियों की वास्तविक देयता रियायती दर वेतनवृद्धि दर सेवानिवृत्ति आयु	5,652.70 8.00% 6.00% 60 वर्ष	4,854.64 8.00% 6.00% 60 वर्ष
23.4	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना वर्ष के दौरान दिया गया योगदान	10.13	11.02
23.5	परिवर्तनाधीन अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ की वर्तमान योजना के लिए अंशदान की चालू देयताएँ एवं प्रावधान (टि.4) एवं प्रावधान (टि.25) में शामिल किया गया है.	522.29	118.75
24	अन्य व्यय वर्कशाप से संबद्ध आपूर्ति बिजली तथा ईंधन पानी का प्रभार यात्राएँ # मरम्मत : इमारतें संयंत्र, मशीनरी तथा उपस्कर फर्नीचर तथा उपस्कर वाहन अन्य वाहन व्यय - पेट्रोल तथा डीज़ल शिथिल औजरा तथा उपस्कर बीमा दरें तथा कर डाक, तार, टैलेक्स तथा टेलीफोन मुद्रण तथा लेखन-सामग्री प्रचार-प्रसार विज्ञापन बैंक प्रभार विधि व्यय दान बट्टा खाता : भण्डार अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण अन्य लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक : सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क कर लेखापरीक्षा शुल्क सेवा शुल्क दस्तावेजीकरण शुल्क तथा व्यय परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि (निवल) सुरक्षा व्यवस्था परिसमापन क्षतियाँ कंप्यूटर साफ्टवेयर तथा विकास मनोरंजन शिष्टाचार निदेशकों का प्रतिभागिता शुल्क आई ई एम का प्रतिभागिता शुल्क सी एस आर व्यय विविध परिचालन व्यय पूर्वावधि मदें	499.53 1273.31 362.19 800.73 958.18 766.46 5.26 15.81 159.40 57.44 323.99 111.75 86.24 132.81 92.76 256.13 256.55 93.51 2.46 - 38.31 4.12 45.82 0.00 3.50 0.20 0.46 0.00 - 2086.27 6358.06 1.04 1.05 79.00 4.60 2.36 131.99 1912.23 47.13 16970.65	568.68 906.49 222.77 698.44 830.32 615.51 9.53 15.74 1.87 61.43 174.55 104.29 87.23 115.25 87.43 114.55 132.29 99.20 3.37 0.10 - 2.28 3.50 0.20 0.46 0.22 - 1769.23 2009.20 2.45 0.39 96.61 3.55 1.50 - 1941.91 5.62 10686.16
# 24.1	निदेशकों का यात्रा व्यय सम्मिलित है.	74.18	113.51



31 मार्च 2013 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
25	प्रावधान प्रतिस्थापन व अन्य प्रभार, वारंटी तथा बैच अस्वीकृतियाँ निष्प्रयोजनीयता के प्रावधान परिसमापन क्षतियाँ सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व	1700.30		820.14	
		625.45		548.54	
		158.11		6814.18	
		522.29		118.75	
		469.92		140.04	
		3476.07		8441.65	
26	पूँजीगत एवं अन्य लेखों से संबद्ध व्यय आस्थगित राजस्व व्यय टूल्स व जिग्स अन्य	370.93		402.05	
		440.23		510.64	
		99.87		305.34	
		911.03		1218.03	
27	प्रति शेयर अर्जन : ए एस-20 के अनुसार परिकलित प्रति शेयर (मूल) अर्जन कराधान के बाद निवल लाभ प्रति शेयर रु.1000/- अंकित मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयरों की संख्या: मूल तथा विलयित अर्जन प्रति शेयर (रु. में) संविलयन संभाव्य ईक्विटी शेयर नहीं हैं	28840.30		23495.88	
		1150000		1150000	
		2507.85		2043.12	
28	अनिवार्य प्रकटीकरण				
28.01	अप्रावधानित आकस्मिक देयताओं के लिए : ऋण तथा प्रत्याभूतियों के बकाया साख-पत्र: (i) साख-पत्र (ii) प्रत्याभूतियाँ और प्रति-प्रत्याभूतियाँ	11235.39		22367.88	
		11.89		11.89	
	कुल	11247.28		22379.77	
28.02	कंपनी के विरुद्ध जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया ऐसे दावों/माँग (i) बिक्री कर (ii) सेवा कर (iii) अन्य	14449.88		14449.88	
		89.89		89.89	
		3389.04		380.19	
	कुल	17928.81		14919.96	
28.03	पूँजीगत लेखों के अंतर्गत बकाया निष्पादित लेखों की अनुमानित राशि तथा अप्रावधानित के लिए	5382.04		8209.41	
28.04	दिनांक 08 फरवरी, 2011 की अधिसूचना सं. एस ओ 301 (ई) के तहत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की षष्ठम् अनुसूची के द्वितीय भाग के परिच्छेद 3 (i) (ए), 3 (ii) (ए), 3 (ii) (डी), 4-सी, 4-सी (ए) से (ई) तक (डी) छोड़कर के अनुपालन की छूट दी है. लेखा मानकों से संबंधित प्रकटीकरण :				
28.05	एक लाख रुपये से अधिक के पूर्वावधि लेन-देन (ए एस-5) के प्रत्येक मामले को लेखाओं में यथावत् प्रकट किया गया है. इस तरह के लेन-देन से वर्ष के लाभ में अपवृद्धि रु. 5.62 लाख (पिछले वर्ष में रु. 82.88 लाख की वृद्धि) जो निम्नानुसार है :				

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
			लाभांश में कमी	लाभांश में वृद्धि	लाभांश में कमी	लाभांश में वृद्धि
1	बिक्री	19	-	-140.76	-	-
2	अन्य व्यय	9	-49.46	-	-	-
3	प्रत्येक व्यय		-38.61	-	-	-
4	अन्य व्यय	24	47.13	-	5.62	-
	कुल		(40.94)	(140.76)	5.62	0.00
	लाभ पर निवल प्रभाव — वृद्धि/(अपवृद्धि)			(99.82)		(5.62)



31 मार्च 2013 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012		
28.06	ए एस-11 के अनुसार विदेश विनिमय दर में हुए परिवर्तन का प्रभाव				
ए)	वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में समायोजित विभेदक विनिमय दर की राशि	29.28	1.37		
बी)	पूँजी परिसंपत्तियों के संबंध में लाभ-हानि लेखा में सूचित विनिमय दर विचलन	-	-		
सी)	आस्थगित ऋण का पुनर्निर्धारित भाग संलेख पर लागू विनिमय-दर पर मूल्यांकित है. विनिमय दर विचलन का इस पर प्रभाव :				
	i) कंपनी से संबंधित बढ़ी हुयी देयताएँ	44.55	46.40		
	ii) ग्राहक की देयता को देय लेखा में समान राशि के प्राप्य दावों के साथ दर्शाया गया है जो कि कंपनी पर हस्तांतरित नहीं है.	1567.87	1633.19		
डी)	आस्थगित देयताओं में भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार अनुपार्जित ब्याज के रूप में सम्मिलित है.	-	-		
28.07	संव्यवहार की प्रकृति तथा प्रकटन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यही विवेकशील समझा गया कि ए एस 17 के अनुसार आवश्यक सेगमेंट रिपोर्टिंग की जानकारी का प्रकटन न किया जाए. इस प्रकार के अप्रकटन से कंपनी लेखों पर किसी प्रकार का वित्तीय प्रभाव नहीं पडा है.				
28.08	संबंधित पार्टी से लेन-देन (ए एस 18) का विवरण निम्नानुसार है :				
	पार्टी का नाम	संबंध	लेन-देन	चालू वर्ष	विगत वर्ष
	सार्वजनिक उद्यम हैदराबाद	श्री आर के मिश्र, स्वतंत्र निदेशक तथा निदेशक, आई पी ई	(i) अन्य प्रचार व्यय (ii) सी एस आर (iii) संरक्षक सदस्यता (iv) कैपस लिए वित्तीय सहयोग (v) प्रशिक्षण, संगोष्ठी, पाठ्यक्रम शुल्क आदि	3.87 7.45 8.00 10.00 4.84	- - 8.00 10.00 5.06
		कुल		16.16	23.06
28.09	संबंधित अनुसूची 23 एवं 24 में दर्शायी गयी जानकारी के अनुसार केवल पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक छोड़कर किसी भी संबद्ध पार्टी के साथ लेन-देन नहीं किया गया है.				
	उत्पाद सुधार सहित अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया व्यय संबंधित समरूप लेखा शीर्षों में प्रभारित किया गया है.				
	राजस्व व्यय के रूप में			1823.20	1020.00
	पूँजीगत व्यय के रूप में (पूँजीगत परिसंपत्तियाँ)			104.93	488.50
28.10	वर्ष के दौरान ए एस 28 के अनुसार इंपेमेंट हानि पायी गयी.			शून्य	शून्य



31 मार्च 2013 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

28.11 प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएँ - ए एस-29 के अनुसार आवश्यकता का प्रकटीकरण इस प्रकार है :						
चालू वर्ष						
क्र. सं.	प्रावधान का प्रकार	वर्ष के आरंभ का अथशेष	वर्ष के दौरान रखा गया प्रावधान	वर्ष के दौरान प्रयुक्ति	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत में इतिशेष
1	वारंटी	1616.16	1700.30	0.00	821.57	2494.89
2	परिसमापन क्षति	12519.43	158.11	3822.04	2424.55	6430.94
3	अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ	414.76	522.29	0.00		937.05
4	अनावश्यक	962.02	625.45	38.31	492.91	1056.25
5	संदिग्ध अग्रिम / दावे	62.18		40.30		21.88
6	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व	140.04	469.92	131.99		477.97
		15714.59	3476.07	4032.64	3739.03	11418.98
विगत वर्ष						
क्र. सं.	प्रावधान का प्रकार	वर्ष के आरंभ का अथशेष	वर्ष के दौरान रखा गया प्रावधान	वर्ष के दौरान प्रयुक्ति	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत में इतिशेष
1	वारंटी	1669.23	820.15	-	873.22	1616.16
2	परिसमापन क्षति	7690.45	6814.18	1868.00	117.20	12519.43
3	अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ	296.02	118.74	-	-	414.76
4	अनावश्यक	839.02	548.54	0.00	425.54	962.02
5	संदिग्ध अग्रिम / दावे	66.21	-	-	4.03	62.18
6	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व	0.00	155.11	15.07	-	140.04
		10560.93	8456.72	1883.07	1419.99	15714.59
28.12	<p>टिप्पणी 28.01 एवं 28.02 में संदर्भित आकस्मिक देयताएँ संविदा दायित्वों की शर्तों पर, आक्रमण, संबंधित पार्टियों द्वारा उठाये जाने वाली माँगों तथा न्यायालय / विवेचन / कोर्ट के बाहर के समझौते / अपीलों के निपटान पर आधारित हैं।</p> <p>अन्य प्रकटीकरण</p> <p>28.12ए) ठेके का निष्पादन नहीं होने पर ब्याज सहित 17.19 लाख अग्रिम राशि आदि की वसूली के लिए कंपनी ने पूर्तिकर्ता पर कानूनी कार्रवाई की है। कंपनी के नाम राशि रु.48.10 लाख के लिए जिला न्यायालय ने डिग्री जारी किये जाने पर भी यह राशि प्राप्त दावे / आय के रूप में नहीं मानी जाएगी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से पूर्तिकर्ता को डिग्री के प्रचालन पर स्टे प्राप्त हुई है और आज तक वह मामला न्यायाधीन है।</p> <p>बी) एक आपूर्तिकर्ता को सामग्री-खरीदी के लिए रु.4.45 लाख की राशि दी गई। सामग्री के तिरस्कृत होने पर आपूर्तिकर्ता ने सामग्री वापस ले ली तथा सही सामग्री आपूर्त नहीं किया गया और राशि भी वापस नहीं की गई। इस संबंध में आपूर्तिकर्ता के प्रति विधिक कार्रवाई शुरू की गई। यह मुकद्दमा नगर नागरिक अदालत (सिटी सिविल कोर्ट), हैदराबाद में चल रहा है और आज की तारीख में यह मामला विचाराधीन है।</p>					
28.13	<p>देनदार और लेनदारों, प्राप्त दावे, ठेकेदारों / उप ठेकेदारों के पास पड़ी सामग्री, अग्रिम, निक्षेप तथा अन्य मदों के संबंध में अधिशेष की पुष्टि संबंधी अनुरोध पत्र भेजे जा चुके हैं। प्राप्त उत्तरों के आधार पर यथावश्यक आमेलन / प्रावधान / समायोजन किये जा रहे हैं।</p>					
28.14	<p>ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम रु.42454.91 लाख (पिछल वर्ष रु.42454.91 लाख) की राशि में से कंपनी ने दो परियोजनाओं के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं को विशेष यंत्र एवं उपकरणों की खरीद तथा सामग्री संग्रहण के लिए भुगतान किया है। इसमें</p>					



31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

	<p>रु.114.05 लाख (पिछले वर्ष 114.05 लाख) राशि के विशेष यंत्र एवं उपकरण (अनुसूची 8) शामिल हैं, आपूर्तिकर्ताओं के नाम चालू परिसंपत्तियाँ व ऋण तथा अग्रिम (अनुसूची 14 से 18) मिलाकर रु. 11014.16 लाख (पिछले वर्ष 11014.16 लाख) तथा रु. 8269.07 लाख (पिछले वर्ष 8574.88 लाख) सामग्री संग्रहण लेखा से संबंधित है. इन सबकी कुल राशि मिलाकर रु. 19397.28 लाख (पिछले वर्ष 19703.09 लाख) है जिसमें कंपनी ने इन परिसंपत्तियों का अपने खर्च पुरख्ता आदेशों की प्राप्ति व ग्राहकों से प्राप्त निधि में से किया है जिसमें दीर्घावधि अग्रिम तथा अचल विशेष उपसकरों व सामग्री से कंपनी को कोई हानि नहीं है. अतः किसी प्रावधान की आवश्यकता महसूस नहीं की गई. साथ ही, समयपूर्व समाप्त संविदाओं के संबंध में कंपनी प्रयोक्ता से संपर्क कर रु. 2787.00 लाख (पिछले वर्ष 8664.00 लाख) की क्षतिपूर्ति की माँग की है जो उपलब्ध अग्रिम समायोजित करने के बाद बनती है. अतः सरकार / प्रयोक्ता से राशि के अंतिम निर्णय के शेष रहते, लाभ लेखा में कोई दावा अथवा प्रभाव दर्ज नहीं किया गया है.</p>
28.15	<p>चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ नीतियों के लेखा-सूची होने के, कुछ के आवश्यकता से अधिक विस्तृत होने तथा कुछ नीतियों के एंप्लीफिकेशन की आवश्यकता को देखते हुए बहुत पहले बनायी गयी कुछ लेखा-नीतियाँ परिवर्तित / हटा दी गई हैं. इन परिवर्तनों का चालू वर्ष के लाभ पर आया प्रभाव रु.3.90 लाख है.</p>
28.16	<p>पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित या पुनर्व्यवस्थित किया गया है. ऋणात्मक संख्याएँ कोष्ठक में दिखायी गयी है.</p>

संलग्न 1 से 28 की टिप्पणियाँ तथा लेखा नीतियाँ लेखाओं के अंगभूत अंश हैं.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप

कृते डी वी रमण राव अण्ड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
 फर्म की पंजीकरण संख्या 002918S

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

पी नागेश (सदस्यता सं. 203162)
 भागीदार

एसवी सुब्बाराव
 निदेशक (वित्त)

एस एन मंथा
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
 दि. 02 अगस्त 2013

स्थान : हैदराबाद
 दि. 02 अगस्त 2013

एम लक्ष्मीनारायण
 कंपनी सचिव



31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नक़द प्राप्ति विवरण

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च 2013		31 मार्च 2012	
ए. परिचालनीय कार्यकलापों से नक़द प्राप्त :				
कराधान से पूर्व निवल लाभ तथा असाधारण मर्दे समायोजन :		41906.34		34819.22
मूल्यहास एवं क्रमिक अपाकरण	4097.77		4561.69	
ब्याज से आय	(41758.05)		(40349.32)	
ब्याज से व्यय	36.11		19.92	
कार्यगत पूँजी के परिवर्तनों से पूर्व परिचालनीय लाभ (वृद्धि)/अपवृद्धि विविध देनदारों में	4282.17		(948.49)	
(वृद्धि)/अपवृद्धि सामग्री-सूची में	(19315.54)		(4324.60)	
(वृद्धि)/अपवृद्धि ऋणों तथा अग्रिमों में (अग्रिम कर, उपचित ब्याज छोड़कर)	(40396.23)		(10038.00)	
(वृद्धि)/अपवृद्धि आस्थगित राजस्व व्यय में (वृद्धि)/अपवृद्धि विविध देनदारों देयताओं एवं प्रावधानों में	(48300.57)		(70867.37)	
(वृद्धि)/अपवृद्धि आस्थगित राजस्व व्यय में (वृद्धि)/अपवृद्धि विविध देनदारों	62021.15		109874.57	
परिचालन से अर्जित नक़द		(41709.02)		23696.11
प्रदत्त आयकर		(13801.95)		(13907.57)
असाधारण मर्दों से पूर्व नक़द प्राप्ति	-	(55510.97)	-	9788.54
असाधारण मर्दों से प्राप्त	-	-	-	-
परिचालनीय कार्यकलापों से निवल नक़द (ए)		(55510.97)		9788.54
बी. विनियोजन कार्यकलापों से निवल नक़द :				
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(13485.17)		(14002.94)	
परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि	348.74		50.05	
प्राप्त ब्याज	40101.14		33908.89	
विनियोजित कार्यकलापों से निवल नक़द (बी)		26964.71		19956.00
सी. वित्तीय कार्यकलापों से नक़द प्राप्त				
आस्थगित देयताओं का पुनर्भुगतान				
आस्थगित ऋणों से अपवृद्धि				
प्रदत्त ब्याज	(36.11)		(19.92)	
प्रदत्त लाभांश	(4700.05)		(2300.00)	
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नक़द (सी)		(4736.16)		(2319.92)
निवल वृद्धि/(अपवृद्धि) नक़द तथा नक़द तुल्यों में		(33282.42)		27424.62
वर्ष के प्रारंभ में नक़द एवं नक़द तुल्य		429507.98		402083.36
वर्ष के अंत में नक़द एवं नक़द तुल्य		396225.56		429507.98

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप.

कृते - डी वी रमण राव अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या 002918S

पी नागेश (सदस्यता सं. 203162)
भागीदार

स्थान : हैदराबाद
दि. 02 अगस्त 2013

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एसवी सुब्बाराव
निदेशक (वित्त)

स्थान : हैदराबाद
दि. 02 अगस्त 2013

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एम लक्ष्मीनारायण
कंपनी सचिव



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
भारत डायनामिक्स लिमिटेड,
हैदराबाद.

1. वित्तीय विवरणिकाओं की रिपोर्ट

हमने भारत डायनामिक्स लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं तथा 31 मार्च, 2013 तक के तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखों और साथ ही, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के नक़द प्राप्ति विवरण तथा प्रमुख लेखा-नीतियों का सार व विवरणात्मक सूचना की लेखापरीक्षा की है।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3सी) में संदर्भित लेखा-मानकों के अनुरूप कंपनी की सही व पारदर्शी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नक़द प्राप्ति प्रतिबिंबित करने वाली वित्तीय विवरणिकाएँ तैयार करवाना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है।

3. लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

अपनी लेखापरीक्षा द्वारा इन वित्तीय विवरणिकाओं पर अपनी राय देना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में अपेक्षित होता है कि हम लेखापरीक्षा की योजना तथा कार्यनिष्पादन से उचित आश्वासन कायम कर सके कि ये वित्तीय विवरणिकाएँ वास्तविक अकथनों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में राशि तथा वित्तीय विवरणिकाओं के प्रकटीकरण के समर्थित साक्ष्यों की जाँच परीक्षण आधार पर शामिल होती है तथा इसमें प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों के मूल्यांकन व प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ समग्र वित्तीय प्रस्तुति का मूल्यांकन भी

शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्रकट किये जाने वाले मत लेखा-परीक्षा आधारित होंगे।

4. भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी अधिनियम 1956 की धारा, 277 के उप खण्ड 4 (ए) के अनुबंधों के अनुसार विनिर्माता एवं अन्य कंपनियों के (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) (संशोधित), 2004 द्वारा यथासंशोधित कंपनी आदेश, लेखापरीक्षक रिपोर्ट, 2003 की अपेक्षानुसार आदेश के परिच्छेद 4 तथा 5 में इस विषय पर निर्दिष्ट हमारा विवरण अनुलग्नक के साथ संलग्न है।

5. राय

अधिनियम की धारा 277 (3) की अपेक्षा तथा उपर्युक्त विषय से संबंधित अनुलग्न में की गयी टिप्पणियों के अलावा कथन है कि :

- ए) लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी स्पष्टीकरण व सूचनाएँ हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार प्राप्त कर ली गयीं।
- बी) हमारी राय में बही खातों के परीक्षण से विदित होता है कि कंपनी ने लेखा-बही विधि अनुरूप रखे हैं।
- सी) इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा व नक़द प्राप्ति विवरण लेखा-पुस्तकों के अनुसार हैं।
- डी) हमारी राय में, उद्धृत लेखा मानकों के पैरा 3 (एफ) (आई) को छोड़कर इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा, नक़द प्राप्ति विवरणिकाएँ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा 3 (सी) के लेखा मानकों के अनुरूप रखे गये हैं।
- ई) विधि, न्याय एवं कंपनी मामलों के मंत्रालय, के कंपनी मामल विभाग के सामान्य परिपत्र सं.8/2002, दिनांक 22



मार्च 2002 के अनुसार सरकारी कंपनियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं. अतः किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है.

एफ) हमारी राय में तथा हमें प्राप्त जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पढ़े जाएँगे जो निम्नांकित होंगे.

टिप्पणी सं-28.07 से संदर्भित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ए) में आवश्यक गैर-प्रकटन लेखा नीति मानक एएस 17 द्वारा माँगी गयी सूचना. यद्यपि, इससे चालू वर्ष के लाभ-हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आवश्यक सूचना जिस रूप में दी जानी आवश्यक हो तथा भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य व स्पष्ट विचार दें :

- (i) जहाँ तक दिनांक 31 मार्च, 2013 के अब तक के कंपनी-कार्यों से संबंधित तुलन-पत्र का संबंध है.
- (ii) जहाँ तक इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ-हानि लेखे और लाभ का संबंध है. तथा
- (iii) जहाँ तक इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की नक़द प्राप्ति, नक़द प्राप्ति विवरण का संबंध है.

कृते - डी वी रमण राव अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण संख्या 002918S

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 02 अगस्त 2013

पी नागेश
(सदस्यता सं.203162)
भागीदार



लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के उपर्युक्त अनुच्छेद-4 के संबंध में उद्धृत

i) ए) कंपनी ने आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है जिसमें पूर्ण विवरणों के साथ-साथ मात्रात्मक विवरण व स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति भी दर्शायी गयी है.

बी) हमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का सत्यापन सावधिक एवं चरणबद्ध रूप से किया गया जो कंपनी के विस्तार और परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए ठीक है. ऐसे सत्यापन में सामग्री संबंधी कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं हुई.

सी) हमारे विचार में वर्ष के दौरान कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग को बेचा नहीं है और इससे कंपनी की कारोबारी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

ii) ए) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन ने सामग्री सूचियों का नियमित अंतराल से प्रत्यक्ष सत्यापन किया है. हमारे विचार से ये सत्यापन कंपनी के विस्तार और संव्यवहार की दृष्टि से पर्याप्त अंतरालों पर किये गये हैं.

अन्य पार्टियों के पास पड़ी सामग्री के संबंध में कंपनी द्वारा ऐसे भण्डार के संबंध में पुष्टियाँ प्राप्त की और इन प्रत्युत्तरों के आधार पर, जहाँ भी प्राप्ति हुई हो, मिलान / प्रावधान / समायोजन किये गए.

बी) हमारे विचार से और हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार सामग्री सूचियन के प्रत्यक्ष सत्यापन की जो पद्धति प्रबंधन ने अपनाई है वह कंपनी के आकार और संव्यवहार की दृष्टि से उचित है.

सी) कंपनी ने सामग्री सत्यापन के समुचित अभिलेखों का रखरखाव किया है. हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अभिलेखों के साथ भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन करने

पर कुछ अंतर पाया गया. उपर्युक्त कमियों का बकाया आमेलन इन कमियों / आधिक्य को स्टॉक समायोजन में दिखाया गया है जिसे अंततः विधिवत् मिलान के बाद बट्टे खाते / वापसी में डाला जाएगा. इसके अलावा स्टॉक की प्रत्यक्ष जाँच के दौरान उपर्युक्त में से बुक रिकार्ड अनुसार कोई भी कमी नहीं पायी गयी.

iii) ए) हमें बताया गया है कि कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन पंजी में सूचीबद्ध फर्म या पार्टियों से न तो ऋण लिया है और न ही किसी को ऋण दिया है.

बी) हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने जिन पार्टियों को अग्रिम के रूप में ऋण दिया है वे अनुबंध के आधार पर मूल धन और जहाँ कहीं ब्याज लागू हो, नियमित रूप से दे रहे हैं.

iv) हमारे विचार से और हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास अपने आकार और संव्यवहार की प्रकृति के अनुरूप सामग्री की खरीद, स्थायी परिसंपत्तियों और उत्पाद की बिक्री के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया व्यवहृत है.

v) ए) हमारे विचार से और हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी भी संविदा या अनुबंध के अनुसरण में कोई संव्यवहार अथवा व्यवस्थाएं नहीं की हैं जिसकी प्रविष्टि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखी पंजी में की जानी आवश्यक होती है.

बी) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखी जानी वाली पंजी में वर्ष के दौरान किसी भी पार्टी के नाम पर रु. 5,00,000/- या अधिक का संव्यवहार प्रविष्टित नहीं किया गया है.

vi) कंपनी ने जनता से किसी भी प्रकार का निक्षेप स्वीकार नहीं किया है.



- vii) हमारी राय में, कंपनी के विस्तार और संव्यवहार के समनुरूप लेखा प्रणाली व्यवहृत है।
- viii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार ने कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों के लिए लागत अभिलेखों का रखरखाव विहित नहीं किया है।
- ix) ए) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कराया जाता है। हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2013 तक 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए देयता की तारीख से किसी भी प्रकार की उपर्युक्त अविवादित राशि का भुगतान बकाया नहीं है।

बी) रु. 8846.05/- लाख की विवादित सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास मामले लंबित होने के कारण जमा नहीं की गयी है। इनका विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	सांविधि का नाम	बकाया राशि का प्रकार	किस फोरम के पास मामला लंबित है	(रु. लाखों में)
1.	सी.एस.टी. अधिनियम	सी.एस.टी.	आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	1462.67
2.	सी.एस.टी. अधिनियम	सी.एस.टी.	आंध्र प्रदेश बिक्री कर अपीली न्यायाधिकरण	7055.91
3.	सी.एस.टी. अधिनियम	सी.एस.टी.	डी सी, चारमीनार हैदराबाद	284.36
4.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा शुल्क	आयुक्त सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, हैदराबाद II	43.11
			कुल	8846.05

- x) हमारे द्वारा जिस वित्तीय वर्ष का लेखा-परीक्षण किया गया है या उसके तुरंत पहले वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई घाटा नहीं हुआ है और न ही कंपनी ने किसी प्रकार की नकदी गँवायी है।
- xi) हमारी राय में और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी भी वित्तीय संगठन या बैंक को राशि लौटाने में कोई चूक नहीं की है।
- xii) हमारी राय में और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयर प्रतिभूति बंधक कर के आधार पर किसी भी प्रकार के ऋण या अग्रिमों का अनुदान नहीं किया है।
- xiii) हमारी राय में यह कंपनी कोई चिटफंड, निधि या परस्पर लाभ-निधि संस्था नहीं है। अतः इस पर कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 की धारा 4 (xiii) लागू नहीं है।
- xiv) कंपनी किसी प्रकार के शेयरों की खरीद-फरोख्त, प्रतिभूति, डिबेंचर और अन्य किसी प्रकार के निवेश नहीं करती है।
- xv) कंपनी ने कोई मियादी ऋण नहीं लिये हैं।
- xvi) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी अल्पावधि आधार पर कोई राशि नहीं ली और न ही इसे किसी दीर्घकालीन निवेश में लगाया है। साथ ही, कोई दीर्घकालीन ऋण भी नहीं लिया है।
- xvii) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये बही में सूचित किसी भी कंपनी, फर्म या निजी पार्टी को अधिमान्यता के आधार पर शेयरों का आबंटन नहीं किया है।
- xviii) कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किए।
- xix) कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के जरिये किसी भी प्रकार की राशि नहीं जुटायी है।
- xx) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार इस वर्ष के दौरान कंपनी को या कंपनी द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं है।

कृते - डी वी रमण राव अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण संख्या 002918S

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 02 अगस्त 2013

पी नागेश (सदस्यता सं.203162)
भागीदार



कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग 217 (3) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों का निरीक्षण तथा कंपनी द्वारा दिए गए समाधान

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में	लेखापरीक्षकों के निरीक्षण	कंपनी द्वारा समाधान
3 (एफ)	कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211/(3ए) के अंतर्गत सेगमेंट रिपोर्टिंग के लेखा मानक ए एस-17 के अनुरूप आवश्यक सूचना के प्रकटीकरण की टिप्पणी संख्या 28.07.	प्रकटीकरण की संवेदनशीलता तथा संव्यवहार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया है कि सेगमेंट रिपोर्टिंग के संबंध में लेखा-मानक 17 के अनुसार आवश्यक सूचना विवेकशीलता से कंपनी लेखाओं के वित्तीय विवरणिकाओं में प्रकट न की जाए. इस संबंध में वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणी 28.07 में प्रकटीकरण किया गया है.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एसवी सुब्बाराव
निदेशक (वित्त)



भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी



सं. / No. Insp/BDL Accts(2012-13)/13-14/145

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बंगलूर-560 001.

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT and Ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD,
BANGALORE - 560 001.

दिनांक / DATE 21.8.2013

सेवा में,

श्री एस एन मंथा,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड,
पोस्ट ऑफिस : कंचनबाग,
हैदराबाद - 500 058.

महोदय,

विषय : कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ.

मैं, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओं की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी शून्य टिप्पणियाँ प्रमाण-पत्र अग्रेषित करता हूँ.

यह सुनिश्चित किया जाए कि टिप्पणियाँ :

- (i) बिना किसी संस्करण के संपूर्णतः मुद्रित किया जाए ;
- (ii) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (5) के अनुसार ए जी एम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए. तथा
- (iii) वार्षिक रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के बाद रखा जाए और अनुक्रमणिका में इसे उचित रूप से दर्शाया जाए.

कृपया पत्र की पावती दें.

भवदीय,

हस्ता./-

(वी के गिरिजा वल्लभन, आई ए अण्ड ए एस)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

संलग्नक : यथोपरि

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
पहला तल, बसवा भवन, श्री बसवेश्वरा रोड, बंगलूर - 560 001
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basaveswara Road, Bangalore - 560 001

दु. भा. / Phone : 2226 7646 / 2226 1168
E-mail : mabblr@giasbg01.vsnl.net.in

तार / Telegram : DIRCOMIT
फैक्स / Fax : 080-2226 2491



31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओं की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ.

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय अभिलेखन रूपरेखा के अनुपालन में 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व उद्यम के प्रबंधन का है. इन वित्तीय विवरणों पर राय देने का उत्तरदायित्व कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का है जो इस अधिनियम की धारा 227 के अंतर्गत पेशेवर निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुपालन में की गयी स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित होगी. लगता है उनकी दिनांक 29.8.2012 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार यह दी जा चुकी है.

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के अंतर्गत भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है. यह लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के कार्य पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी जो प्राथमिकतः सांविधिक लेखापरीक्षा की पड़ताल और उद्यम के कार्मिकों तथा कुछ चुने हुए लेखा अभिलेखों की परीक्षा तक सीमित है. मेरे द्वारा दी गई लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट / अनुपूरक रिपोर्ट पर कुछ भी टिप्पणी करने योग्य नहीं पाया गया.

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./-

(वी के गिरिजावल्लभन, आई ए अण्ड ए एस)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, बैंगलूर.

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 21 अगस्त 2013



अतिथि आगमन VIP VISITS



दि. 14 दिसंबर, 2012 को अपने दौरे के दौरान निदेशकगण तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी से बातचीत करते हुए श्री ए के गुप्त, आई ए एस, अपर सचिव (रक्षा उत्पादन).
Shri AK Gupta, IAS, Addl. Secretary (Defence Production) interacting with Directors and CVO on his visit on 14 Dec 2012.



दि. 20 दिसंबर, 2012 को एल आर सैम प्रभाग के दौरे के दौरान ए वी एम आर के धीर, अविसेमे, विमे तकनीकी प्रबंधक (वायु), अधिग्रहण स्कंध, रक्षा मंत्रालय.
AVM RK Dhir, AVSM, VM, Technical Manager (Air), Acquisition Wing, MoD during his visit to LR SAM Division on 20 Dec 2012.



अतिथि आगमन VIP VISITS



दि. 06 फरवरी, 2013 को माननीय सांसद श्री राज बब्बर की अध्यक्षता में रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने बी डी एल का दौरा किया।
The Parliamentary Standing Committee on Defence, under the Chairmanship of Shri Raj Babbar, Hon'ble Member of Parliament, visited BDL 06 Feb 2013.



दि. 14 फरवरी, 2013 को अपने दौरे के दौरान मिलान प्रभाग में ले. जनरल वी ए भट्ट, डी जी क्यू ए.
Lt Gen VA Bhat, DGQA at Milan Division during his visit on 14 Feb 2013.



अतिथि आगमन VIP VISITS



दि. 16 मार्च, 2013 को श्री आर के माथुर आई ए एस, सचिव (रक्षा उत्पादन) के बी डी एल दौरे के अवसर पर श्री एस एन मंथा, सी एम डी जानकारी देते हुए.
Shri RK Mathur, IAS, Secretary (DP) being briefed by Shri SN Mantha, CMD during his visit to BDL on 16 Mar 2013.



दि. 02 अप्रैल, 2013 के अपने दौरे के दौरान बी डी एल उत्पादों की जानकारी लेते हुए श्री के एम आचार्य, सदस्य, पी ई एस बी.
Shri KM Acharya Member, PESB being briefed during his visit on 02 Apr 2013.



अतिथि आगमन VIP VISITS



दि. 05 अप्रैल, 2013 के अपने दौरे के दौरान बी डी एल के उत्पादों की जानकारी लेते हुए एअर मार्शल डी सी कुमारिया, पविसेमे, अविसेमे, विमे, विसमे, एडीसी.
Air Marshal DC Kumaria PVSM, AVSM, VM, VSM, ADC, Vice Chief of Air Staff being briefed about BDL products during his visit on 05 Apr 2013.



दि. 25 अप्रैल, 2013 को अपने दौरे के दौरान विभिन्न उत्पादों की जानकारी लेते हुए ले. जनरल एन बी सिंह, अविसेमे, विसमे, डी जी ई एम ई व वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट
Lt Gen NB Singh, AVSM, VSM, DG EME & Sr. Col. Comdt. being briefed about various products during his visit on 25 Apr 2013.



अतिथि आगमन VIP VISITS



दि. 03 जुलाई, 2013 के अपने दौरे के दौरान सी एम डी, निदेशक (वित्त) तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी से बातचीत करते हुए श्री वी के गिरिजावल्लभन, आई ए ए एस, वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक व ऑडिट बोर्ड के पदेन सदस्य.
Shri VK Girijavallabhan, IAAS, Principal Director of Commercial Audit and Ex-officio Member Audit Board interacting with CMD, Director (Finance) and CVO on his visit to BDL on 03 Jul 2013.




दि. 09 जुलाई, 2013 के अपने दौरे के दौरान जानकारी प्राप्त करते हुए ले. जनरल ए एस चब्बेवाल, अविसेमे, युसेमे, एम जी ओ
Lt Gen AS Chabbewal, AVSM, YSM, MGO being briefed on his visit to BDL on 09 Jul 2013.



हमारे उत्पाद Our Products



इन्वार
INVAR



सी-303
C-303



वरुणास्त्र
VARUNA STRA



एस एफ डी
SFD



हमारे उत्पाद Our Products



कांकूर्स-एम
KONKURS-M



टाल
TAL



मिलान-2टी
MILAN-2T



आकाश
AKASH




दि. 31 मई, 2013 को श्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय युवा मामले, खेलकूद (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा राज्य मंत्री से कंपनी के निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों का परिचय कराते हुए सी एम डी श्री एस एन मंथा

Shri Jitendra Singh, Hon'ble Union Minister of State for Youth Affairs and Sports (IC) and Minister of State for Defence being introduced to Directors and Senior Executives by CMD on his visit to BDL on 31 May 2013.



दि. 06 फरवरी, 2013 को माननीय सांसद श्री राज बब्बर की अध्यक्षता में रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने बी डी एल का दौरा किया.

The Parliamentary Standing Committee on Defence,
Chaired by Shri Raj Babbar, Hon'ble Member of Parliament, visited BDL on 06 Feb 2013.



भारत डायनामिक्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)
कंचनबाग, हैदराबाद - 500 058.

Bharat Dynamics Limited

(A Govt. of India Enterprise)
Kanchanbagh, Hyderabad - 500 058.

टेलिफोन Tel: 040-24587022, फैक्स Fax: 091-40-24340464
वेबसाइट website: <http://bdl.ap.nic.in>, ई-मेल e-mail: bdltd@ap.nic.in